



यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

(भारत सरकार का एक उपक्रम)

Uranium Corporation of India Limited

(A Government of India Enterprise)

45वां वार्षिक प्रतिवेदन : 2011–2012

45th Annual Report : 2011-2012

कम्पनी ISO 9001 : 2008, 14001 : 2004 एवं IS 18001 : 2007
An ISO 9001 : 2008, 14001 : 2004 & IS 18001 : 2007 Company





यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

(भारत सरकार का एक उपक्रम)

रजिस्टर्ड ऑफिस : जादुगोड़ा माइन्स, जिला – सिंहभूम (पूर्व)

झारखण्ड – 832102

दूरभाष : 0657–2730122 / 222 / 353

फैक्स : 0657–2730322

ई-मेल : cs@ucil.gov.in | uranium@ucil.gov.in

वेबसाइट : www.ucil.gov.in

अनुक्रमणिका

	पृष्ठ संख्या
1. निदेशक मण्डल	3
2. कार्यकारी अधिकारीगण	4
3. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की कलम से	5
4. निदेशकों का प्रतिवेदन	8
5. निदेशकों के प्रतिवेदन का अनुलग्नक-I	18
6. निदेशकों के प्रतिवेदन का अनुलग्नक-II	20
7. लेखा विश्लेषण	
(i) प्रमुख विशिष्टताएँ	22
(ii) कम्पनी की वित्तीय स्थिति	23
(iii) कम्पनी की आय एवं व्यय का विवरण	24
8. पाई एवं बार चार्ट	
(i) आय का वर्गीकरण	26
(ii) व्यय का वितरण	26
(iii) आय में वृद्धि	27
(iv) निवल मालियत (नेटवर्थ) में वृद्धि	27
(v) नियोजित पूँजी में वृद्धि	28
(vi) सकल तथा शुद्ध परिसम्पत्ति	28
9. लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	29
10. निगम के लेखों पर नियंत्रक एवं भारत के महालेखा परीक्षक की टिप्पणी	33
11. 31 मार्च, 2012 की स्थिति का तुलन-पत्र	34
12. वित्तीय वर्ष 2011-2012 के लिए लाभ एवं हानि का लेखा	35
13. लेखे की 1 से 27 तक की टिप्पणियाँ	36
14. कैश फ्लो विवरण	62
15. तुलन-पत्र का सार एवं कम्पनी के सामान्य व्यापार की रूपरेखा	63
16. पच्चीस वर्षीय स्थिति का सार संग्रह	64



निदेशक मण्डल

श्री डी. आचार्य

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (01-08-2011 से)

श्री आर. गुप्ता

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (31-07-2011 तक)

श्री एस. के. श्रीवास्तवा

निदेशक (तकनीकी) (13-06-2012 से)

श्री आर. पी. गुप्ता

निदेशक (वित्त)

श्री एस. के. चौधरी

डॉ. सी. बी. एस. वेंकटरमना

श्री वी. आर. सदाशिवम

श्री आर. एन. जयराज

(31.03.2012 तक)

श्री एन. साईबाबा

(09.04.2012 से)

श्री पी. बी. मैथानी

(31.10.2011 तक)

श्री पी. एस. परिहार

(29.11.2011 से)

प्रो. तारकेश्वर कुमार

डॉ. अमलेन्दु सिन्हा

श्री बी. सी. गुप्ता

कम्पनी सचिव

लेखा परीक्षक

मेसर्स तोडी तुलस्यान एण्ड क.

सनदी लेखाकार

602, लवकुश टावर

एकजीबीशन रोड

पटना-800 001

कार्यकारी अधिकारीगण

अध्यक्ष एवं प्रबंधनिदेशक : श्री डी. आचार्य

निदेशक (वित्त) : श्री आर. पी. गुप्ता

निदेशक (तकनीकी) : श्री एस. के. श्रीवास्तवा

कार्यकारी निदेशक (परियोजना-पूर्वी एवं सी. सी.) : श्री पिनाकी रॉय

कार्यकारी निदेशक (परियोजना-दक्षिण) : श्री एन. एम. बहल

महा प्रबन्धक (खान) : श्री एस. सी. भौमिक

महा प्रबन्धक (तकनीकी सेवा) : श्री एस. सिद्धिकी

महा प्रबन्धक (सुरक्षा, पर्यावरण एवं प्रशिक्षण) : श्री जी. एस. घोष हाजरा

महा प्रबन्धक (तकनीकी सेवा एवं योजना) : श्री अजय घडे

महा प्रबन्धक (ओपेन पीट) : श्री पी. एन. सरकार

महा प्रबन्धक (विद्युत) : श्री पी. के. धर

महा प्रबंधक (कॉरपोरेट योजना) : डॉ. ए. के. सारंगी

कम्पनी सचिव : श्री बी. सी. गुप्ता



अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की कलम से



प्रिय सदस्यगण,

कम्पनी की 45वीं वार्षिक साधारण बैठक में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए मुझे अपार प्रसन्नता हो रही है। वर्ष 2011-12 के लिए कम्पनी का अंकेक्षित लेखा विवरण तथा निदेशकों का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है और आपकी अनुमति से मैं इसे पढ़ लिया गया मानता हूँ।

प्रिय सज्जनों, आपकी कम्पनी भारत में यूरेनियम भण्डार को व्यावसायिक स्तर पर उपयोग करने की एकमात्र हस्ती है। यह स्वदेशी न्यूक्लीयर पावर प्रोग्राम में विशेष महत्व रखती है और न्यूक्लीयर पावर प्रोग्राम में शुरू से ही महत्वपूर्ण योगदान कर रही है। पिछले कुछ दशकों में आर्थिक कार्यकलापों में काफी वृद्धि हुई है जिससे ऊर्जा खपत क्षमता में कमी आई है। इसी को ध्यान में रखते हुए न्यूक्लीयर पावर प्रोग्राम बनाया गया है। यूरेनियम उत्पादन क्षमता को बढ़ाने की बड़ी जिम्मेदारी आपकी कम्पनी के ऊपर है। प्रिय सदस्यगण, भारत में फिलहाल की गतिविधियों में विशिष्ट अन्तर्राष्ट्रीय नाभिकीय सहयोग से ईंधन के आयात होने के अवसर बढ़े हैं जिससे क्षमता में कई गुणा वृद्धि होगी, जिससे स्वदेशी यूरेनियम एवं थोरियम श्रोतों से बिजली उत्पन्न करने का मार्ग सतत् प्रसस्त होगा। तदनुसार आपकी कम्पनी ने बड़ी संख्या में ग्रीन फिल्ड एवं ब्राउन फिल्ड परियोजनाओं को हाथ में लिया और इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है। तुमलापल्ली (आन्ध्र प्रदेश) में वृहद खान एवं प्रासेस प्लांट तथा मोहुलडीह (झारखण्ड) में खान का निर्माण कार्य पूरा हो गया है।

में परमाणु ऊर्जा विभाग एवं इसके विभिन्न इकाइयों सहित बी.ए.आर.सी, ए.एम.डी. तथा एन.एफ.सी. से तकनीकी, वित्तीय तथा प्रशासनिक समर्थन प्राप्त करने के लिए उनका धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ। झारखण्ड, आन्ध्र प्रदेश एवं कर्नाटक राय प्रशासन से प्राप्त सहयोग के लिए आभार प्रकट करता हूँ। मूल्य निर्धारण करने का तत्कालिक निर्णय करना बहुत महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से जब कम्पनी की वर्तमान परिस्थिति में नई परियोजनाएँ चालू की गई हैं एवं नई अनुप्राणित कॉरपोरेट सामाजिक दायित्वों के प्रयासों द्वारा सामाजिक समर्थन प्राप्त करने में सफल हो पारहे हैं।

तुम्मलापल्ली में वृहद् यूरेनियम भंडार है जिससे कम्पनी का परिदृश्य बदल सकता है। आपकी कम्पनी फिलहाल निर्मित खान एवं प्लांट के प्रचालन को स्थायित्व करने का प्रयास कर रहा है। तकनीकी पैरामीटरों के स्थायित्वकरण के पश्चात् प्रचालन में सक्षमता लाने का श्रेष्ठतम कार्य किया जाएग। वृहद् निवेश किये जाने को देखते हुए यूसिल के इन कार्यकलापों की सफलता कठिन है देश में ऊर्जा संरक्षण के लिए प्रचूर उपलब्ध श्रोतों का उपयोग ज्यादा महत्वपूर्ण है।

यूसिल का अधिकतम कार्यकलाप झारखण्ड में है। राज्य में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ बहुत से आंदोलन जन-जातियों के लोगों में अन्य संक्रामण का भय है। यूसिल का प्रचालन, समुदायों के बीच हमारी कम्पनी के अधिकारियों के सतत् प्रयास से सामान्य स्वीकृति प्राप्त हुई। जमीन से जुड़ी मूल समस्याओं का पता लगाया गया है और तदनुसार कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के प्रयासों को करने के लिए निर्देशित किया गया है।

तथापि, इस वर्ष के करीब छःमहीने तक बांदुहुरांग प्रचालन में बाधा होती रही। इसका मूल कारण यूसिल से रोजगार की मांग थी, जोकि इस क्षेत्र में रोजगार की वैकल्पिक व्यवस्था की कमी और आपकी कम्पनी के वरीय नियोक्ता के रूप में प्रत्यक्ष जानकारी की कमी का होना है। इस प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान बाधा होने का प्रभाव उत्पादन, टर्न ओवर एवं कर-पूर्व-लाभ पर पड़ा। पुनर्गठित सामुदायिक सम्बंध कार्यक्रम चलाने के कारण कार्य के वातावरण में सुधार हुआ है और इससे उत्पादन में वृद्धि भी हुआ है।

गोगी के आस-पास अतिरिक्त अयस्क भण्डार मिलने के संकेत मिले हैं जहाँ पर आपकी कम्पनी ने अन्वेषण एवं शोध के लिए परमाणु खनिज निदेशालय (ए.एम.डी.) के तरफ से खनन अन्वेषण का कार्य हाथ में लिया है। यूसिल एवं ए.एम.डी. द्वारा खान साइट के नजदीक एक इफ्लूएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का प्रस्ताव है जिससे कि आस पास के जलाशयों पर पर्यावरण के प्रभाव के भय को कम किया जा सके। राजस्थान के रोहिल जिले में यूरेनियम भण्डार मिलने से काफी उम्मीद है एवं यूसिल इसके समीप पानी के श्रोत का पता लगाने के लिए ए.एम.डी. द्वारा किये जा रहे खोज के सफल हल की प्रतीक्षा कर रही है।

वर्ष के दौरान औद्योगिक संबंध साहार्दपूर्ण रहा। अधिकारियों एवं अन्य श्रेणी के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की पुनर्परिकल्पना तथा कम्प्यूटीकरण किया गया जिससे कि प्रभावी रूप से मॉनिटरिंग किया जा सके। वर्ष 2011-12 के दौरान आपकी कम्पनी इसके संचालन के गुणवत्ता शक्ति, पर्यावरणीय जिम्मेदारी एवं सुरक्षा जागरूकता के प्रति प्रतिबद्ध है। कम्पनी में क्रमशः सभी तीनों प्रत्यापन क्रमशः आई.एस.ओ. 9001:2008, आई.एस.ओ. 14001:2004 तथा आई.एस.ओ. 18001:2007 लागू हैं।

अपकी कम्पनी ने सेप्टी एण्ड रेस्क्यू क्षेत्र में नया अध्याय जोड़ा है। आपकी कम्पनी को वर्ष 2011-12 के लिए अखिल भारतीय खान रेस्क्यू प्रतियोगिता में चैम्पियन घोषित किया गया, आपकी कम्पनी के द्वारा जनता के बीच किये गए कार्यों की प्रशंसा जिला पदाधिकारी एवं अन्य लोगों ने किया है।

आपकी कम्पनी तकनीकी समस्याओं को दूर करने के लिए लगातार अकादमी एवं शोध संस्थानों जैसे आइ.आइ.टी. खरगपुर, आई.एस.एम. धनबाद, एक्स.एल.आर.आइ. जमशेदपुर, सी.एम.एफ.आर.आइ. धनबाद, एन.एम.एल. जमशेदपुर से सम्पर्क बनाये रखा। आपकी कम्पनी द्वारा सामना कर रहे विभिन्न समस्याओं के समाधान में उनके सहयोग प्रदान करने के लिए आभार प्रकट करता हूँ। मैं विशेष रूप से बांदुहुरांग



यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

खान में फ्लाईरॉक लिबरेशन के क्षेत्र में किये गए कार्य को बताना चाहूँगा जो कि यूसिल के संचालन को पूर्णतः सुरक्षित प्रमाणित करता है जिससे कि ग्रामीण जिला प्राधिकार और नियामक के लिए अवरोध को दूर करने में सहायक होगा।

मैं पुनः कहना चाहूँगा कि राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मैं स्वयं एवं यूसिल प्रतिबद्ध हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि यूसिल अपनी कौशलता आधार जोकि इतने वर्ष में निर्माण किया है के कारण अपेक्षाओं को पूरा करेगी।

अब मैं कम्पनी के 31 मार्च, 2012 का तुलनपत्र एवं 31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लाभ-हानि लेखा आपके विचारार्थ, अनुमोदनार्थ एवं अंगीकरण के लिए प्रस्तुत करता हूँ।

धन्यवाद,

डी.आचार्य

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

कोलकाता

27 सितम्बर, 2012

निदेशकों का प्रतिवेदन

सेवा में,

सदस्यगण

सज्जनों,

आपके निदेशकगण को कम्पनी का 31 मार्च, 2012 में समाप्त हुए वर्ष का 45वां वार्षिक विवरण परीक्षित लेखाओं तथा सांविधिक लेखा परीक्षकों एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करते हुए अपार प्रसन्नता हो रही है।

1.0 पचालन विशिष्टताएँ :

1.1 वित्तीय निष्पादन :

	लाख रुपयों में	
	चालु वर्ष	विगत वर्ष
	2011-2012	2010-2011
आय		
मूल्य हास एवं पूर्व अवधि का समायोजन के पूर्व लाभ	70,728.46	76,025.11
घटाया : (क) मूल्यहास	15,748.73	24,186.70
जोड़ा : (ख) पूर्व अवधि का समायोजन	7,183.90	8,245.34
कर पूर्व का लाभ	61.84	115.20
	8,626.27	16,056.56
घटाया : (क) कर का प्रावधान	2,680.00	5,851.50
(ख) पूर्व के वर्षों के लिए	(-720.41)	318.51
(ग) आस्थगित कर का प्रावधान	182.86	(-)266.01
कर पश्चात् लाभ	6,484.22	10,152.56
जोड़ा: विगत वर्ष से लाया गया	16,692.28	12,053.39
विनियोग के लिए उपलब्ध राशि	23,176.52	22,205.95
विनियोग		
साधारण रिजर्व	1,625.00	2,550.00
प्रस्तावित लाभांश	1,625.00	2,550.00
लाभांश पर कर	263.62	413.67
अधिशेष तुलनपत्र में लाया	19,622.90	16,692.28
	23,176.52	22,205.95

आपकी कम्पनी ने वर्ष के दौरान राजकोष में आयकर, बिक्रीकर, अन्य लाभकर, सुविधाकर, उत्पादशुल्क, सीमाशुल्क (आयात) स्वामित्व शुल्क के रूप में 4,478.63 लाख रुपये (गत वर्ष 7930.53 लाख रुपये) का योगदान दिया।



1.2 परिचालन निष्पादन:

■ जादुगोड़ा खान

जादुगोड़ा यूरेनियम खान 1968 से प्रचालनरत है और आज देश की सबसे पुरानी एवं गहरी भूमिगत खान है। वर्ष के दौरान खान की उपयोग क्षमता 93.88% दर्ज की गई है। खान का खनन पट्टा नवीनीकरण हेतु पर्यावरण निर्बाधन एम.ओ.इ.एफ. से प्राप्त हो गया है। प्रथम एवं द्वितीय पट्टा नवीनीकरण का आवेदन प्रगतिशील है।

■ भाटिन खान

वर्ष के दौरान खान की उपयोग क्षमता 91.50% दर्ज की गई। प्रथम एवं द्वितीय पट्टा नवीनीकरण का आवेदन जादुगोड़ा खान पट्टा आवेदन के साथ प्रक्रिया में है।

■ नरवापहाड़ खान

नरवापहाड़ खान देश की अत्याधुनिक मैग्नेटाइट भूमिगत खान है जिसमें डिकलाइन प्रवेश एवं पटरी विहिन उपकरणों को अपनाया गया है। इसकी अयस्क उत्पादन क्षमता 1000 टन प्रतिदिन की है। वर्ष के दौरान इसकी उपयोग क्षमता 137.21 प्रतिशत दर्ज की गई। इसकी उत्पादन क्षमता को 1500 टन प्रतिदिन तक बढ़ाया जा रहा है।

■ तुरामडीह खान

वर्ष के दौरान तुरामडीह खान की उपयोग क्षमता 127.92% दर्ज किया गया। यह नरवापहाड़ के बाद दूसरी इस प्रकार की खान है जिसमें अत्यधिक आधुनिक भूमिगत पटरीविहीन खनन तकनीकी का इस्तेमाल किया गया है जिसका विस्तारीकरण किया जा रहा है जो वर्तमान में 750 टन प्रति दिन से बढ़ाकर 1000 टन प्रतिदिन किया जा रहा है।

■ बान्दुहुरांग ओपेनकास्ट खान

यह देश की पहली ओपेनकास्ट यूरेनियम खान है जिसकी उत्पादन क्षमता 3500 टन अयस्क प्रतिदिन की है। इस खान के अयस्क को तुरामडीह प्रोसेसिंग

प्लांट में संसाधित किया जाता है। वर्ष के दौरान खान करीब 6 माह तक नियोजन के लिए आंदोलन के कारण बंद रहा। इसकी उपयोग क्षमता 30.17% दर्ज की गई।

■ बागजाता भूमिगत खान

यह खान 2008 में चालू हुई, इसका निष्पादन संतोषनक है और 103.76% उपयोग क्षमता दर्ज की गई। बागजाता खान में उत्पादित अयस्क को ट्रक द्वारा जादुगोड़ा संसाधन संयंत्र में लाया जाता है। सुदूरवर्ती एवं अत्यंत प्रभावित क्षेत्र में अवस्थित होने के कारण एवं प्रायः बंद रहने के कारण अयस्क की ढुलाई में बाधा उत्पन्न होती है। इस क्षेत्र में वैकल्पिक अवसर नहीं होने की वजह से परिचालन को रोजगार के लिए आंदोलन कर बाधित किया जाता है।

■ जादुगोड़ा संयंत्र

यह संयंत्र वर्ष 1968 में चालू की गई एवं इसका विस्तारीकरण तीन चरणों में किया गया। इसकी वर्तमान प्रोसेसिंग क्षमता 2500 टन प्रतिदिन की है और यह जादुगोड़ा, भाटिन, नरवापहाड़ और बागजाता माइन्स से पाप्त यूरेनियम को परिस्कृत करता है। वर्ष के दौरान संयंत्र की क्षमता का उपयोग 96.26% रहा। संयंत्र एम.डी.यू. का उत्पादन करता रहा है और अब यूरेनियम पेरोक्साइड (उच्च शुद्धता के साथ) का उत्पादन करती है। इससे न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स के परिचालन में पर्यावरणीय सहयोग मिलता है।

■ तुरामडीह मिल

मार्च 2009 में चालू इस मिल की क्षमता 3000 टन प्रतिदिन खनिज को प्रसंस्कृत करने की है जो महत्वाकांक्षी विकास पथ पर कम्पनी की यात्रा में इसकी स्थापना एवं विशिष्ट मौल का पथर है। इस संयंत्र में अनेक विकसित यंत्रों एवं आधुनिक निपयंत्रण एवं मॉनीटरिंग सुविधाओं से लैस है। इसमें तुरामडीह एवं बान्दुहुरांग का अयस्क संसाधित किया जाता है। वर्ष के दौरान बान्दुहुरांग खान से कम अयस्क प्राप्ति के कारण इसकी उपयोग क्षमता 78.33% रही।

■ उपोत्पाद पृथक्करण संयंत्र

जादुगोड़ा उपोत्पाद पृथक्करण संयंत्र से उत्पादित मैग्नेटाइट कम्पनी की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने में रिकार्ड योगदान किया है। इसकी उपयोग क्षमता 75.13% दर्दा की गई।

1.3 नई परियोजनाएं एवं विस्तार की योजना

■ माहुलडीह भूमिगत खान

यह खान 17 अप्रैल 2012 को चालू किया गया। यह झारखण्ड में आपकी कम्पनी का 7वां खान है। इसका प्रवेश डिकलाइन से होने के कारण पटरीविहीन उपकरणों को ले जाने में सुविधा होती है। अयस्क का उत्पादन शुरू हो चुका है।

■ तुमलापल्ली यूरेनियम परियोजना :

यह परियोजना 20 अप्रैल, 2012 में चालू किया गया। झारखण्ड के बाहर देश का यह प्रथम यूरेनियम उत्पादन केन्द्र है। खान ने 2000 टन अयस्क प्रतिदिन उत्पादन क्षमता प्राप्त कर लिया है। पर्याप्त अयस्क स्टॉक परिष्कृत करने के लायक का सृजन किया गया है। संयंत्र प्रचालन का स्थायित्व किया जा रहा है। एस.डी.यू. प्रक्षेपण प्राप्त हो चुका है। ए.ई.आर.बी. की स्वीकृति प्रक्रिया में है।



■ गोगी यूरेनियम परियोजना, कर्नाटक

आपकी कम्पनी ए.एम.डी. के साथ हुए समझौता ज्ञापन के अनुसार कार्यस्थल पर लगातार खनन अन्वेषण कार्य कर रही है। खान का शाफ्ट कार्य 225 मी0 की वाँछित गहराई तक पूरा हो चुका है। परियोजना निर्माण कार्यकलापों को शुरू करने के लिए कानूनी निर्बाधन प्रतीक्षित है। गोगी में खान के नजदीक अन्वेषण खनन कार्य के रूप में एक एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (इ.टी.पी.) लगाने का प्रस्ताव है। विभिन्न स्तरों पर पर्यावरण से संबंधित विचार विमर्श के कारण खान अन्वेषण विकास कार्य स्थगित है।

■ लाम्बापुर यूरेनियम परियोजना

लाम्बापुर यूरेनियम परियोजना के लिए आन्ध्रप्रदेश सरकार से खनन पट्टे का अनुमोदन और ए.पी.पी.सी.बी. से स्थापना हेतु स्वीकृति अभी तक प्रतीक्षित है। भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया का कार्य किया जा रहा है।

■ केलेंग-पेंडेंगसोहियोंग परियोजना, मेघालय :

आपकी कम्पनी माउथाबा मेघालय में केलेंग पेंडेंगसोहियोंग परियोजना के लिए भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। आपकी कम्पनी स्थानीय लोगों से सकारात्मक उत्तर प्राप्त करने के लिए जन-कल्याणकारी कार्य जैसे सड़क एवं पुलियों, स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण, सहायता के लिए शैक्षणिक केन्द्र एवं अन्य सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम का कार्यान्वयन सफलतापूर्वक कर रही है। नजदीकी गाँवों से परियोजना स्थल को जोड़ने के लिए 20 किलोमीटर सड़क एवं तीन पूलों का निर्माण किया गया है।

■ रोहिल यूरेनियम भण्डार, राजस्थान

आपकी कम्पनी ने इस क्षेत्र में अन्वेषण खनन कार्य करने के लिए ए.एम.डी. के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। खनन योजना को पूरा कर लिया गया है। इस कार्य का आरम्भ परियोजना के लिए जल स्रोत सुनिश्चित होने के बाद ही किया जाएगा।



1.4 समझौता ज्ञापन निष्पादन

भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ हुए समझौता ज्ञापन के संदर्भ में वर्ष 2011-2012 में आपकी कम्पनी का निष्पादन कार्य “बहुत अच्छा” रेटिंग मिलने की आशा है।

2.0 लाभांश में तथा रिजर्व में स्थानान्तरण

आपके निदेशकगण 1625.00 लाख रुपये का लाभांश देने का सिफारिश करते हुए प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं (विगत वर्ष यह राशि 2550.00 लाख रुपये थी) तदनुसार लाभ से 1625.00 लाख रुपये की यह राशि सामान्य आरक्षित राशि में स्थानान्तरित किया गया तथा वर्ष 2011-12 के लिये लेखा में 263.62 लाख रुपये (विगत वर्ष 413.67 लाख रुपये) लाभांश पर कर के लिए प्रावधान किया गया है।

3.0 अंश पूँजी

वर्ष के दौरान कम्पनी की अधिकृत अंशपूँजी 250000 लाख रुपये (गत वर्ष 150000.00 लाख रुपये) तथा 31.3.2012 को निर्गमित अंशपूँजी 143962 लाख रुपये (गत वर्ष 143051 लाख रुपये) है।

4.0 ऊर्जा संरक्षण/प्रौद्योगिकी का समावेश, अनुकूलन, नवात्पाद तथा विदेशी मुद्रा का अर्जन एवं उपयोग

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 217(1) (ई) (निदेशक मण्डल के प्रतिवेदन में दिखाए गए विवरण) कम्पनी नियम 1988 के अनुसार पठित ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी का समावेश तथा विदेशी मुद्रा के उपयोग एवं अर्ज संबंधी विवरण इस प्रतिवेदन के अनुलग्नक-1 में दिखलाया गया है।

5.0 औद्योगिक सम्बंध

वर्ष के दौरान प्रतिवेदनावधि में औद्योगिक संबंध बहुत संतोषजनक रहा। कल्याणकारी कार्यों, पदोन्नति, प्रशासन, क्वार्टर आबांटन इत्यादि महत्वपूर्ण मुद्दों पर यूसिल प्रबंधन एवं यूरेनियम प्रतिनिधियों एवं ऑफिसर्स एसोसियेशन के बीच सौहार्दपूर्ण वार्ता होती रही। आपकी कंपनी ने कंपनी के अंशदायी निधि न्यास, ग्रेच्युटी निधि न्यास, कर्मचारी पारिवारिक सहायता योजना, कल्याण निधि योजना तथा को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी आदि योजनाओं में प्रतिनिधित्व दिया गया। वे सुरक्षा समिति, केन्टिन प्रबंधन समिति तथा स्पोर्ट्स समिति इत्यादि के भी सदस्य हैं। कर्मचारियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों के समाधान हेतु अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में संयुक्त समिति की बैठक होती हैं।

6.0 जनशक्ति

वर्ष के दौरान ए.बी.सी तथा डी ग्रुप में 185 व्यक्तियों की नियुक्ति की गई। 31.03.2012 को आपकी कम्पनी में कर्मचारियों की कुल संख्या 4624 थी। कम्पनी में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों की संख्या क्रमशः 475 तथा 1957 थी। दोनों मिलाकर इन वर्गों का प्रतिनिधित्व कम्पनी की कुल जनशक्ति का 52.59% प्रकाशित है। 31.03.2012 को कम्पनी में भूतपूर्व सैनिकों की संख्या 21 तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की संख्या 10 थी। भारत सरकार द्वारा निर्धारित मार्गदर्शनों के आधार पर आरक्षित कोटा भरने के लिए कम्पनी द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है।

7.0 प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी

आपकी कम्पनी सौहार्दपूर्ण औद्योगिक सम्बंध सभी स्तर पर रखती है। इसके अन्तर्गत शॉप समिति की बैठक नियमित रूप से हुई। प्रतिवेदन वर्ष 2011-12 के दौरान शॉप समिति की 42 बैठकें आयोजित की गई। कर्मचारियों को भविष्य निधि के न्यास बोर्ड, ग्रेच्युटी निधि न्यास, मृत्यु लाभ योजना, कर्मचारी पारिवारिक सहायता योजना, कल्याण निधि योजना तथा को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी आदि योजनाओं में प्रतिनिधित्व दिया गया। वे सुरक्षा समिति, केन्टिन प्रबंधन समिति तथा स्पोर्ट्स समिति इत्यादि के भी सदस्य हैं। कर्मचारियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों के समाधान हेतु अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में संयुक्त समिति की बैठक होती हैं।

8.0 कर्मचारियों का विवरण

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(2ए) के साथ पठित यथा संशोधित (कर्मचारियों का विवरण) नियम 1975 के अनुसार उक्त नियम के तहत वर्ष 2011-12 के दौरान पारिश्रमिक दिया गया जो कि निम्नवत् है:

- 1) श्री डॉ.आचार्य (वर्तमान अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक) - रु. 36.90 लाख
- 2) श्री आर.गुप्ता, (अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक 31.07.11 तक) - रु. 26.28 लाख

3) श्री आर.पी.गुप्ता, निदेशक (वित्त) - रु. 32.56 लाख

9.0 मानव संसाधन विकास एवं प्रशिक्षण :

आपकी कम्पनी मानती है कि मानव संसाधन का विकास के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। कम्पनी के मानव संसाधन की पूर्ण दक्षता के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाएं सतत् रूप से आयोजित किया जाता है जिससे कि विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की कार्यकुशलता प्रशिक्षण एवं विकास द्वारा कुशल बनाया जा सके। इस वर्ष 2011-12 के दौरान 416 अधिकारियों एवं पर्यवेक्षकों को प्रबंधन प्रशिक्षण केन्द्र, नरवापहाड़ में प्रशिक्षण दिया गया। 1427 कर्मचारियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया गया। 65 कर्मचारियों को प्रशिक्षु अधिनियम के तहत् प्रशिक्षण दिया गया और 121 कर्मचारियों को विभिन्न संस्थानों में समारोह, कार्यशालाओं में भाग लेने तथा प्रशिक्षण के लिए भेजा गया जिससे कि उनमें अधिक निपुणता तथा व्यावसायिक जानकारी में वृद्धि हो।



10.0 सुरक्षा

आपकी कम्पनी कर्मचारियों एवं मशीनरी एवं उपकरणों पर सुरक्षा का विशेष रूप से महत्व देती है। आपकी कम्पनी में खान एवं प्रोसेसिंग प्लांट में विशेष रूप से सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता है जिससे कि दुर्घटना में कमी हो इसके लिए आधुनिकतम खनन तकनीकी एवं यांत्रिकीकरण तकनीक

को अपनाया गया है। सुरक्षा के मापदंड को समय समय पर आंतरिक सुरक्षा संस्था द्वारा समीक्षा की जाती है। वर्ष के दौरान सुरक्षा सप्ताह का आयोजन आपकी कम्पनी के हर इकाई में किया जाता है जिससे कि कर्मचारियों में सुरक्षा के प्रति जागरूकता पैदा हो। कम्पनी के बचाव दल (रेस्क्यू टीम) को भी नियमित रूप से प्रशिक्षण दिया जाता है। बचाव का कार्य जिला प्रशासन के अनुरोध पर ग्रामीणों को भी बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है जिसकी प्रशंसा जिला प्रशासन एवं स्थानीय प्रेस ने भी किया है। वर्ष 2011-12 को आपकी कम्पनी के लिए दुर्घटना शून्य वर्ष माना गया है। 04 (चार) गंभीर दुर्घटना नरवापहाड़ खान में तथा 01 (एक) गंभीर दुर्घटना तुरामडीह में हुई थी। तथापि वर्ष के दौरान तुरामडीह मिल ने 270 दिनों की सबसे लम्बी दुर्घटना शून्य अवधि को प्राप्त को किया है।

*

सुरक्षा पुरस्कार

2011-12 के दौरान आपकी कम्पनी को विभिन्न पुरस्कार प्राप्त हुआ। आपकी कम्पनी के विभिन्न इकाईयों को कुछ गोरवपूर्ण पुरस्कार मिला है, जो निम्नवत है:

*बागजाता खान ने वर्ष 2009 के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार रनर-अप जीता जिसें वर्ष 2011 में न्यूनतम दुर्घटना सूचक श्रेणी के लिए घोषित किया गया।

*बागजाता खान ने वर्ष 2010 के विजेता के रूप में राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार जीता जिसें वर्ष 2012 को लोऐस्ट इन्ज्यूरी फ्रिक्वेंसी श्रेणी (6) में घोषित किया गया।

आपकी कम्पनी के द्वारा वर्ष 2011-12 में 23 से 26 फरवरी के दौरान तालचर, उड़ीसा में हुए अखिल भारतीय खान बचाव प्रतियोगिता के मेटलीफेरश केटेगोरी में निम्नलिखित पुरस्कार जीता गया:

- ओवर ऑल चैम्पियन
- बेस्ट कैटेन
- बेस्ट इन फ्रेश एयर बेस
- बेस्ट इन मार्च पास्ट
- बेस्ट इन फर्स्ट एड

- रनर्स-अप इन रेस्क्यू
- रनर्स-अप इन रेस्क्यू एण्ड रिकवरी कम्बाइंड
- रनर्स-अप इन स्टेच्यूटरी टेस्ट



11.0 सामाजिक निगमित दायित्व :

आपकी कम्पनी ने पिछले 10 वर्षों में 6 ग्रीन-फील्ड एवं 3 ब्राउन-फील्ड परियोजनाओं को सफलतापूर्वक चालू किया है। यह उद्योगों के खिलाफ अविश्वास का वातावरण एवं झारखण्ड में जनजातियों के बीच अन्यसंक्रामण का भय एवं देश के अन्य भागों में भूमि अधिग्रहण, बाहरी कामगारों के आगमन आदि का भय होते हुए भी प्राप्त किया गया। खान एवं प्रोसेस प्लांट की स्थापना में कई जन सुनवाइयों की आवश्यकता होती है जिसमें स्थानीय जनता का समर्थन प्राप्त हुआ। यह सब सिर्फ इसलिए प्राप्त किया जा सका क्योंकि पिछले उद्देश्यों में स्थानीय जनता के लोगों में विश्वास पैदा किया जा सका। सी.एस.आर. के क्षेत्रों एवं सामुदायिक सबंधों को बनाये रखने एवं आस पास के लोगों में विश्वास पैदा करने में कम्पनी का महत्वपूर्ण प्रयास रहा। सी.एस.आर. के प्रयास के तहत आपकी कम्पनी ने कई कार्यकलाप शुरू

किया है जो महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के कार्यकलापों को लागू करने के लिए आसपास के रहनेवाले समुदायों के साथ नियमित रूप से गहरा संबंध बनाये रखा गया।

सी.एस.आर.के सिद्धांतों को नियमों के तहत आपकी कम्पनी प्रचालनरत इकाइयों के आसपास विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों द्वारा आस-पास के गाँवों के लोगों के लिए कल्याणकारी एवं सामुहिक सामाजिक दायित्वों के प्रति पूर्ण से प्रतिबद्ध है। इसके लिए कम्पनी के वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति बनाई गई है और उन्हें स्वपोषी कल्याणकारी योजनाओं को कार्यान्वित करने का जिम्मा सौंपा गया है और इसके लिए वार्षिक बजट में निधि का भी प्रावधान किया गया है। आपकी कम्पनी आस-पास के क्षेत्रों में विभिन्न व्यावसायिक ट्रेडों में स्वरोजगार प्रदान करने के लिए जन-शिक्षण संस्थान (मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक संगठन) के साथ मिलकर कार्य कर रही है।

झारखण्ड में जेवियर्स सामाजिक विज्ञान संस्थान द्वारा आपकी कम्पनी के आस-पास प्रचालनरत इकाइयों के कल्याणकारी योजनाओं को बनाने के लिए सर्वेक्षण की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को मानने में मदद मिली है। ग्रामीण युवकों के बीच अंग्रेजी भाषा एवं कम्प्यूटर शिक्षा के लिए कोर्चिंग क्लास की व्यवस्था, सिंचाई एवं सामुदायिक कृषि के लिए खाद, बनस्पतियों के बीज, खाद, डिस्चार्ज पाइप उपलब्ध कराने की समुदाय द्वारा प्रशंसा की गई है। इसके अलावे चापाकल का निर्माण एवं अनुरक्षण, ग्रामीण सड़कों का अनुरक्षण, ग्रामीण विद्यालयों को सहारा, स्वास्थ्य शिविर का आयोजन, सोलर प्रकाश का प्रावधान, फुटबॉल कोर्चिंग कैम्प का आयोजन आदि कम्पनी के सुनाम को बढ़ाया है।

आन्ध्रप्रदेश, तुमलापल्ली परियोजना के आस-पास के क्षेत्रों में कल्याणकारी योजनाओं को उच्च प्राथमिकता के आधार पर चलाया जा रहा है। आपकी कम्पनी द्वारा सौर ऊर्जा द्वारा चालित प्रकाश की व्यवस्था आस-पास के गाँवों में की गई है। आस-पास के गाँवों में से उच्च शिक्षा के लिए मेधावी छात्रों

का चयन किया जाता है। आस-पास के गाँवों में नियमित रूप से चिकित्सा शिविर लगाए जाते हैं एवं नि:शुल्क औषधी भी प्रदान की जाती है।

वर्ष 2011-12 के दौरान आपकी कम्पनी ने गोगी परियोजना के आस-पास कल्याणकारी योजनाएँ बनाई हैं। परियोजना स्थल के आस-पास के लोगों के लिए नि:शुल्क चिकित्सा शिविर, पाइपलाइन के द्वारा पानी की आपूर्ति, पूर्व विश्वविद्यालय के छात्रों को मासिक छात्रवृत्ति आदि दिये जा रहे कार्यों को परियोजना के इर्द-गिर्द के लोगों द्वारा सराहा जा रहा है।

मेघालय में के.पी.एम. परियोजना क्षेत्र के आस-पास आपकी कम्पनी द्वारा लगातार कल्याणकारी योजनाएँ चलाई जा रही हैं जिनमें सड़क निर्माण, विद्यालय एवं प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र का संचालन आदि शामिल हैं।



12.0 कॉरपोरेट अभिशासन

कॉरपोरेट अभिशासन से संबंधित एक रिपोर्ट अनुलग्नक-II में दी गयी है।

13.0 सार्वजनिक जमा

वर्तमान समीक्षा वर्ष के दौरान कम्पनी ने किसी भी व्यक्ति से कोई जमा राशि नहीं स्वीकार की है।

14.0 पर्यावरण एवं वातावरण संरक्षण

आपकी कम्पनी अपनी इकाईयों के आस-पास पर्यावरण सुरक्षा की जिम्मेदारी के लिए प्रतिबद्ध है। भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र द्वारा जादुगोड़ा, नरवापहाड़ और तुरामडीह तथा एन.एफ.सी. हैदराबाद में प्रचालनरत संयंत्र के आस-पास के क्षेत्रों में विकिरण स्तर की नियमित रूप से निगरानी की जाती है। बाह्य गामा रोडियेशन, रेडॉन सान्द्रता, वायु में आल्फा कणों की सक्रियता एवं भूमि तथा भूमिगत जल एवं मिट्टी आदि में रडियम व यूरेनियम जैसे रेडियो न्यूक्लियाइट्रिक्स की सान्द्रता का आकलन नियमित रूप से किया जाता है। प्लांट एवं रिहायशी क्षेत्रों स्वस्थ पर्यावरण तथा प्रदूषण मुक्त वातावरण की स्थापना द्वारा वृक्षारोपण अभियान चलाया जाता है।

आपकी कम्पनी गहन पर्यावरणीय जिम्मेदारियों के तहत किये गए कार्यकलापों के लिए आई.एस.ओ.-14001:2004 सत्यापित संस्था है। इसके खान एवं प्रोसेस प्लांट एवं टेलिंग पांड की सुरक्षा एवं पर्यावरण प्रबंधन के लिये प्रयास किया जाता है। कॉरपोरेशन को विश्वास है कि इसकी सुविधाएं जीवन की गुणवत्ता मूल्य एवं आस-पास के सभी मामलों में





यथा पर्यावरण एवं मितव्ययता आदि में उपलब्ध होना चाहिए।

आपकी कम्पनी इसके खादानों के आसपास जमा किये गए वेस्ट-रॉक के रिमेडियेशन का कार्य आरंभ कर दिया है जो कि पर्यावरण मंचों जैसे कि अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आई.ए.इ.ए.) मंचों पर उठाया गया है। खान एवं प्रोसेस प्लांट से भी निकलने वाले अपशिष्टों को सामाजिक संसाधित एवं निगरानी क्षेत्रों में बाहर छोड़ने से पूर्व रेगुलेटरी अनुपालन के लिए संसाधित एवं निगरानी किया जाता है।

15.0 आई.एस.ओ. प्रमाणीकरण :

आपकी कम्पनी को आई.एस.ओ. 9001 : 2008 (गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रमाण पत्र) आई.एस.ओ.-14001:2004 तथा आई.एस. 18001 : 2007 (व्यावसायिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षा प्रबंधन व्यवस्था के लिए प्रमाण-पत्र) प्रमाणीकरण प्रदान किये गए हैं।

16.0 लघु-उद्योग

वर्ष के दौरान आपकी कम्पनी ने अपने आस-पास के क्षेत्रों में स्थित लघु उद्योगों को सहयोग प्रदान करने के लिए उनके उत्पादों का अधिकतम मात्रा में क्रय जारी रखते हुए मदद की है। इस कार्य से क्षेत्रीय लोगों में कम्पनी के प्रति सौहार्द बढ़ा है, इसके अतिरिक्त स्वरोजगार बढ़ा है।

17.0 विदेश भ्रमण

इस वर्ष विदेश यात्रा पर 7.44 लाख रुपया खर्च हुआ जबकि विंगत वर्ष 2.62 लाख खर्च हुआ था।

18.0 विज्ञापन एवं प्रचार

विंगत वर्ष के रु.267.68 लाख की तुलना में इस वर्ष विज्ञापन पर प्रचार कार्य पर रु. 242.25 लाख खर्च हुआ। यह खर्च नियुक्तियों एवं निविदा संबंधी सूचनाओं के प्रेसारण पर किया गया।

19.0 हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

वर्ष 2011-12 के दौरान कम्पनी ने राजभाषा अधिनियम एवं नियमों के अन्तर्गत बने प्रावधानों एवं नियमों को कार्यान्वित

करने की दिशा में प्रयास जारी रखा है। प्रगति की समीक्षा के लिए राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें समय-समय पर आयोजित की जाती है। कर्मचारियों को नकद पुरस्कार प्रदान किये गए। हिन्दी कार्यशाला समय-समय पर आयोजित की गई।

20.0 लेखा परीक्षकों की नियुक्ति

वित्तीय वर्ष 2011-12 तथा वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में मेसर्स टोडी तुलस्यान एण्ड क., सनदी लेखाकार, 602 लव कुश टावर, एक्जिविशन रोड, पटना-800001 को नियुक्त किया है।

21.0 सतर्कता

निवारक सतर्कता पर संगठन के नियमों एवं विनियमों के अनुसार कड़ाई से पालन हो, इस पर जोर दिया जाता है। सभी निविदा आमंत्रण सूचना को कम्पनी की वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है तथा समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाता है। कम्पनी का सतर्कता विभाग मुख्य सतर्कता अधिकारी के अधीन कार्य करता है और वह अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को रिपोर्ट करता है इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों के 07 वरिष्ठ अधिकारी आकस्मिक जाँच करने तथा भंडार एवं अन्य कार्यों को सत्यापित करने के लिए अधिकृत किये गये हैं। वर्ष के दौरान केन्द्रीय सतर्कता आयोग को समय-समय पर प्रतिवेदन रिटर्न भेजे गए। कम्पनी में 31 अक्तूबर, 2011 से 05 नवम्बर 2011 तक सतर्कता सप्ताह मनाया गया। केन्द्रीय सतर्कता आयोग से प्राप्त निर्देशों का संस्थान में कड़ाई से पालन होता है।

22.0 निदेशकों की नियुक्ति

निदेशकों के नाम	(नियुक्ति की तिथि)
श्री पी. एस. परिहार,	
निदेशक, ए. एम. डी.	29.11.2011
श्री एन. सांईबाबा,	
मुख्य कार्यकारी, एन.एफ.सी.	09.04.2012
श्री एस. के. श्रीवास्तव	
निदेशक (तकनीकी), यू.सी.आई.एल.	13.06.2012

निदेशकों की सेवा समाप्ति

निदेशकों के नाम	(समाप्ति की तिथि)
श्री आर. गुप्ता (पूर्व - अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक)	31.07.2011
श्री पी. बी. मैथानी, निदेशक, ए.एम.डी.	31.10.2011
श्री आर. एन. जयराज, मुख्य कार्यकारी, एन.एफ.सी	31.03.2012

निदेशकगण श्री आर गुप्ता, श्री पी. बी. मैथानी और श्री आर. एन. जयराज के अमूल्य योगदान के लिए उनकी प्रशंसा करते हैं।

23.0 भावी दृष्टिकोण

आपके निदेशकगण को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि आपकी कम्पनी विकास मार्ग पर है और कई विस्तारीकरण योजनाएँ स्वरूप ले रही हैं। आंध्रा प्रदेश के तुमलापल्ली में नये खान एवं प्लांट की स्थापना नई तकनीक के साथ की गई है जिससे कि भविष्य में देश की न्यूक्लीयर प्रोग्राम में देशी यूरेनियम ईंधन की आपूर्ति की जाएगी। तुमलापल्ली के आसपास से वृहद् यूरेनियम स्रोत की स्थापना हो चुकी है तथा विकास के लिए नवपरिवर्तन लाने की जरूरत है जिससे कि स्वदेशी यूरेनियम से माँग एवं आपूर्ति की अन्तर को भरा जा सके।

भूमि अधिग्रहण एवं नियोजन एक संवेदनशील मुद्दा बनता जा रहा है। वैकल्पिक रोजगार के अवसर नहीं रहने के कारण प्रायः विस्थापितों द्वारा रोजगार के लिए माँग होती रहती है जो कि कम्पनी पारदर्शिता परिचालन के द्वारा बताने का प्रयास करता है। इस संबंध में न्यूक्लीयर विरोधी संगठन विस्थापन एवं पर्यावरण के मुद्दों पर लोगों को बहकाते रहते हैं।

आपकी काम्पनी को विश्वास है कि पड़ोसी गाँवों के निवासियों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंधों को बनाकर कम्पनी एवं इसके कार्यकलापों को स्वीकारना कठिन है। कम्पनी के

अधिकारीगण हर स्तर पर पड़ोसी गाँवों के निवासियों के साथ नियमित रूप से मिलते जुलते रहते हैं जिससे कि प्रचालन में पारदर्शिता के साथ साथ उनकी आवश्यकता एवं उनके सहयोग को वे समझ सकें। इस संबंध में गोगी में स्थानीय जनता के साथ मिलकर उनकी आकांक्षाएँ जानकर देश की संभाव्य उत्पादन केन्द्रों, मेघालय में के.पी.एम., आंध्रा प्रदेश के लाम्बापुर में विस्तार करना है जिससे कि यूरेनियम खनन से होने वाले हानियों के बारे में जो भ्रम है उसे दूर किया जा सके। स्थानीय लोगों को परमाणु ऊर्जा के सम्पूर्ण कार्यक्रमों की जानकारी देकर कार्यस्थलों एवं आस-पास सी.एस.आर. एवं सामुदायिक संबंधों को मजबूत किये जाने की जरूरत है। यूसिल ए.एम.डी. के सहयोग से अतिरिक्त यूरेनियम भण्डारों की संभावना के लिए इसके कुछ वर्तमान खानों पर पुनर्विचार कर रही है।

उपर्युक्त सभी कार्यकलापों सहित, आपके निदेशकगण को विश्वास है कि आपकी कम्पनी देश की नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम के तहत यूरेनियम की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऑन-लाइन विस्तार करने में सक्षम होगी।

24.0 निदेशकों का उत्तरदायित्व संबंधी विवरण

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (2,ए) के प्रावधानों के अनुसार आपके निदेशकगण बताते हैं कि:

- वार्षिक प्रतिवेदन की तैयारी में लागू लेखा मानक को अपनाया गया है।
- आपके निदेशकों ने उन्हीं लेखा-नीतियों को अपनाया है जो साधारणतया स्वीकृत लेखा उद्देश्यों के लिए मान्य हैं। इसे संगतरूप से अपनाया गया है तथा इसके साथ न्याय एवं मूल्यांकन किया गया है जो कि विवेकसंगत तथा न्यायपूर्ण है जिससे कि वित्तीय वर्ष के अंत में तथा उसी अवधि में लाभ हानि संबंधी सच्चा एवं स्पष्ट विचार प्रस्तुत किया जा सके।
- आपके निदेशकों ने कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी सुरक्षा एवं बचाव तथा जालसाजी एवं



अन्य अनियमितताओं का पता लगाने के लिए अभिलेख रखने में मुख्य रूप से पर्याप्त सावधानी रखी है।

(iv) आपके निदेशकों ने 'चालू संस्थान' के आधार पर वार्षिक लेखा तैयार किया है।

25.0 आभार प्रदर्शन

आपके निदेशकगण परमाणु ऊर्जा विभाग, परमाणु खनिज गवेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, नाभिकीय ईंधन समिश्र, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र तथा झारखण्ड सरकार, आंध्रप्रदेश सरकार, मेघालय सरकार, कर्नाटक सरकार, कर्मनी मामलों के विभाग, लोक उद्यम विभाग तथा अन्य मंत्रालयों नियंत्रक तथा भारत के महालेखा परीक्षक, कानूनी लेखा परीक्षकों, मुख्य वाणिज्यिक लेखा परीक्षा निदेशक एवं

पदेन सदस्य लेखा परीक्षा परिषद-IV, नई दिल्ली या अप्रत्यक्ष रूप से कर्मनी से सम्बंधित है से प्राप्त सुझाव एवं सहायता के लिए कृतज्ञ है।

अंत में, आपके निदेशकगण सभी कर्मचारियों द्वारा निष्ठा एवं समर्पण के भाव से किये गये कार्यों तथा कर्मचारी यूनियनों एवं अधिकारियों के संगठन द्वारा सहयोग प्रदान करने के लिए उनके प्रति अपना आभार प्रकट करते हैं।

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से

(डी.आचार्य)

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

कोलकाता

दिनांक : 27 सितम्बर, 2012

निदेशकों के प्रतिवेदन का अनुलग्नक-I

कम्पनी नियम, 1988 के अन्तर्गत अपेक्षित (निदेशक मण्डल के प्रतिवेदन में दिया गया) विवरण

ए. ऊर्जा संरक्षण

क) ऊर्जा संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :

- i. तुरामडीह प्लांट के बॉल मिल में कैपेसिटर बैंक की स्थापना
- ii. तुरामडीह प्लांट में ऑटोमेटिक स्वीचिंग एल टी-कैपेसिटर बैंक की स्थापना
- iii. तुरामडीह प्लांट में कुलिंग टावर में ऊर्जा बचत को लगाना जिसमें कि तापमान सहित कुलिंग फैन का स्वचालित स्वीचिंग सुविधा हो
- iv. तुरामडीह प्लांट के खान जल को रिसाइकिंग द्वारा खरकई पम्प हाउस से 15 घंटे से 5 घंटे तक पम्पिंग ऑपरेशन में कमी कर ऊर्जा बचत एवं इस प्रकार नदी जल को 7.2 कि.मी. लम्बाई के पाइप लाइन द्वारा पम्पिंग करने से बचाया जा सकता है।

ख) ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए अतिरिक्त विनियोग एवं प्रस्तावों का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

- i. जादुगोड़ा प्लांट में संपिडित वायु की लिरिंग पाचुका में खपत को कम करने के लिए ऊर्जा सक्षम मैकेनिकल एजिटेशन टाइप लिरिंग टैंक को लगाना।
- ii. जादुगोड़ा प्लांट में दो 375 के.भी.ए., डी.जी. सेट को, नया ईंधन सक्षम 750 के.भी.डी.जी. सेट से बदलने के लिए चिह्नित किया गया।
- iii. खान एवं प्लांट में लीड लाइटिंग को लगाना।

ग) (क) तथा (ख) उपायों को अपनाये जाने का प्रभाव

उपर्युक्त (क) तथा (ख) उपायों को अपनाये जाने के बाद संबंधित क्षेत्रों में ऊर्जा की खपत में कमी आएगी।

विदेशी मुद्रा का अर्जन एवं उपयोग

आपकी कम्पनी निर्यात व्यापार में संलग्न नहीं है तथापि कलपूर्जों एवं पूँजीगत सामानों के क्रय पर इस वर्ष 115.58 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा का इस्तेमाल किया गया (गत वर्ष 366.89 लाख रुपये)।

प्रपत्र-बी

अनुसंधान तथा विकास तथा तकनीकी ग्रहण करने के सम्बंध में विवरण प्रपत्र।

अनुसंधान एवं विकास (आर एण्ड डी)

1. विशेष क्षेत्र जहाँ कम्पनी द्वारा अनुसंधान एवं विकास का कार्य किया गया।
 - क) तुरामडीह में अयस्क फीड में सुधार लाने के लिए ग्राइंडिंग सर्किट को लगाने हेतु अध्ययन करना
 - ख) तुरामडीह में कार्य निष्पादन में सुधार के लिए ग्राइंडिंग सर्किट को लगाने हेतु अध्ययन करना
 - ग) खान के विभिन्न अनुभागों में डिसइक्यूलीब्रियम फैक्टर की स्थापना हेतु तुमलापल्ली में यूरेनियम अयस्क का अध्ययन करना।
 - घ) तुमलापल्ली के अयस्क का विभिन्न आर.ओ.एम.ग्रेड एवं सल्फाइड मात्रा की रिकवरी के सम्बंध में अध्ययन करना।
 - ड.) संयंत्र में पुनःइस्तेमाल के लिए बहिःश्राव में क्लोराइड की सीमा को व्यवस्थित करना
2. उपर्युक्त आर एण्ड डी कार्यों के फलस्वरूप हुए लाभ
 - क) बिजली में पर्याप्त बचत के लिए 2 मोटरों को हटाकर दो कन्वेयर बेल्ट की स्थापना तथा च्यूट का प्रबंधन करना



- ख) क्रसर फीड को 60 टन प्रति घंटा से 70 टन प्रति घंटा बढ़ाने हेतु मिल में लिफ्टर बार की स्थापना
- ग) तुमलापल्ली खान से उत्तम अयस्क उत्पादन के साथ बांधित आर.ओ.एम.ग्रेड एवं सल्फाइड की मात्रा प्राप्त करना जिससे कि एस.डी.यू. अवक्षेपण में सुविधा हो।
- घ) बहिःशाव जल के पुनःइस्तेमाल को बढ़ाना

3. भविष्य की रूपरेखा

- क) यूसिल भूमिगत खान में माइन एसेट ट्रैकिंग सिस्टम, बेतार ध्वनि संचार एवं रियलटाइम प्रोडक्शन मॉनीटरिंग को वाई-फाई मेश एवं आर.एफ.आइ.डी. नेटवर्किंग द्वारा अपनाया जाना
- ख) यूसिल के भूमिगत खान में सान्द्रीकरण आधारित हानिकारक गैस के बेन्टीलेशन का प्रबंधन
- ग) महुलडीह के अयस्क के लिंचिंग अनुकूलन हेतु विभिन्न लिंचिंग प्रचालन दशाओं एवं पैरामीटरों का अध्ययन

4. अनुसंधान एवं विकास पर खर्च

(क) पूँजी	रु. 154.29 लाख
(ख) राजस्व	रु. 175.72 लाख
कुल	रु. 330.01 लाख

5. प्रौद्योगिकी समावेश, अनुकूलन एवं नवीनीकरण

कम्पनी ने वैश्विक तकनीकी को आत्मसात किया है और उसे आवश्यकतानुसार लागू कर रही है। कुछ महत्वपूर्ण उपाय इस प्रकार हैं:

- क) तुमलापल्ली खान में भूमिगत फेस मॉनीटरिंग एवं बीटा/गामा एवं रसायनों का विश्लेषण हैंड हेल्ड काउन्टर द्वारा किया जाना
- ख) नरवापहाड़ खान में विकसित संचार एवं जानकार प्रणाली का इस्तेमाल करते हुए भूमिगत एसेट ट्रैकिंग को अपनाया जाना
- ग) तुरामडीह मिल में बेहतर पुनःउपयोग के लिए प्रोसेस एफ्लूयेंट का पृथक्करण।

निदेशकों के प्रतिवेदन का अनुलग्नक-II

कॉरपोरेट अभिशासन

कम्पनी को विश्वास है कि उन्नत कॉरपोरेट अभिशासन पारदर्शिता, स्पष्टीकरण एवं सत्यनिष्ठा को बढ़ाता है। आपकी कम्पनी द्वारा कॉरपोरेट अभिशासन के अपने समस्त कार्यों में निष्क्रियता एवं पारदर्शिता के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है।

निदेशक मण्डल

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 617 के अन्तर्गत यूसिल एक सरकारी कम्पनी है। इसकी समस्त अधिदत्त पूँजी भारत के राष्ट्रपति के पास है तथा इसके 3 शेयर उनके द्वारा नामजद व्यक्तियों के पास हैं।

निदेशक मण्डल में कार्यपालकों तथा गैर कार्यपालकों का उचित समिश्रण है। 31.03.2012 को बोर्ड में 10 निदेशक हैं जिनमें (i) 3 पूर्ण कालीन कार्यरत निदेशक हैं यथा- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक (वित्त) तथा निदेशक (तकनीकी) तथा (ii) 7 अंश कालिक गैर कार्यपालक निदेशक हैं। बोर्ड की बैठक नियमित अन्तराल पर होती है तथा यह कम्पनी के उचित निर्देशन एवं प्रबंधन के प्रति उत्तरदायी है।

मार्च 2012 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में बोर्ड के निदेशकों की 4 बैठकें आयोजित की गईं जो इस प्रकार हैं- 28.06.2011, 27.07.2011, 09.11.2011 तथा 25.01.2012। निदेशकों की संख्या, बोर्ड की बैठकों में उनकी उपस्थिति एवं वार्षिक साधारण सभा तथा असाधारण बैठकों में उनकी उपस्थिति इस प्रकार थी:

31.03.2012 को नाम एवं पदनाम	त्रेणी	बोर्ड की बैठक		27.07.11 को हुई वार्षिक साधारण सभा में उपस्थिति	अन्य कम्पनियों में निदेशकता
		कार्यकाल अवधि में हुई	उपस्थिति		
कार्यकारी निदेशक					
श्री आर. गुप्ता, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक 31.07.2011 तक	पूर्णकालिक निदेशक	02	02	हाँ	-
श्री डॉ. आचार्य, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक (01.08.2011 से निदेशक (तकनीकी) का समवर्ती पद धारण किये हुए है)	पूर्वकालिक निदेशक	04	04	-	-
श्री आर. पौ. गुप्ता, निदेशक (वित्त)	पूर्णकालिक निदेशक	04	04	-	-
गैर कार्यकारी निदेशक					
डॉ. सी. बी. एस. वेंकटरमण अपर सचिव (आई एण्ड एम) डॉ. ए. ई.	अंशकालीन पदेन	04	03	हाँ	-
श्री वी. आर. सदाशिवम, संयुक्त सचिव (वित्त), डॉ. ए. ई.	अंशकालीन पदेन	04	03	हाँ	04
श्री एस. के. चौधरी, मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार	अंशकालीन पदेन	04	02	-	-
श्री आर. एन. जयराज मुख्य कार्यकारी, एन. एफ. सी. (31.03.2012 तक)	अंशकालीन	04	03	-	01
श्री पी. बी. मैथानी, निदेशक, ए. एम. डॉ. ई. आर. (31.10.2011 तक)	अंशकालीन	03	शून्य	-	-
श्री पी. एस. परिहार, निदेशक, ए. एम. डॉ. ई. आर. (29.11.2011 से)	अंशकालीन	01	01	-	-
डॉ. अमलेन्दु सिन्हा, निदेशक, सेन्ट्रल इंस्टीचूट ऑफ माइनिंग एण्ड फ्यूल रिसर्च	अंशकालीन	04	03	-	-
प्रो. तारकेश्वर कुमार, निदेशक, एन. आई.टी. दुर्गापुर	अंशकालीन	04	03	-	-



यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा-617 के अनुसार पूर्णकालिक के लिए कार्यरत निदेशकों का वेतन भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है क्योंकि यह भारत सरकार की कम्पनी है। अंशकालिक निदेशकों के लिए जो या तो सरकारी अधिकारी हैं अथवा सरकारी उपक्रम के अधिकारी होते हैं उन्हें बैठक में उपस्थित होने पर कोई शुल्क नहीं प्रदान किया जाता है।

लेखा परीक्षण समिति :

31.03.2012 के अनुसार गठित लेखा परीक्षण समिति निम्नवत् है:

- | | | |
|----|--|---------|
| 1. | डॉ. अमलेन्दु सिन्हा
(निदेशक, सेन्ट्रल इंस्टीचूट ऑफ माइनिंग एण्ड फ्यूल रिसर्च, धनबाद) | अध्यक्ष |
| 2. | डॉ. सी. बी. एस. वेंकटरमण
(अपर सचिव, आई एण्ड एम- डी.ए.ई.) | सदस्य |
| 3. | श्री आर. एन. जयराज
(मुख्य कार्यकारी, एन. एफ. सी.) | सदस्य |
| 4. | श्री डी. आचार्य
(अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, निदेशक (तकनीकी)-यूसिल का समवर्ती पद धारण किये हुए हैं) | सदस्य |

वर्ष के दौरान समिति की 04 बैठकें दिनांक 28.06.2011, 27.07.2011, 09.11.2011 तथा 25.01.2012 को आयोजित की गई। समिति ने कम्पनी के वार्षिक प्रतिवेदन 2011-12 की समीक्षा की तथा इसके साथ ही आंतरिक लेखा परीक्षकों तथा सांविधिक लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन की समीक्षा की।

पारिश्रमिक समिति :

31.03.2012 के अनुसार पारिश्रमिक समिति का गठन निम्न प्रकार से किया गया:

- | | | |
|----|--|---------|
| 1. | डॉ. अमलेन्दु सिन्हा
(निदेशक, सेन्ट्रल इंस्टीचूट ऑफ माइनिंग एण्ड फ्यूल रिसर्च, धनबाद) | अध्यक्ष |
| 2. | श्री पी. बी. मैथानी
निदेशक, ए. एम. डी. ई. आर. | सदस्य |
| 3. | श्री डी.आचार्य
(अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, निदेशक (तकनीकी)-यूसिल का समवर्ती पद धारण किये हुए हैं) | सदस्य |
| 4. | श्री आर. पी. गुप्ता
(निदेशक (वित्त), यूसिल) | सदस्य |

आचरण नियमावली :

कम्पनी के पास अपना आचरण नियमावली है जो बोर्ड के सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन पर लागू है और इसे कम्पनी के वेबसाइट पर डाल दिया गया है।

साधारण बैठकें :

विगत 3 वर्ष के दौरान आयोजित वार्षिक साधारण बैठकों/असाधारण बैठकों की संख्या इस प्रकार हैं:

वर्ष	दिनांक	समय	स्थान
2010-11 (वार्षिक साधारण बैठक)	27.07.2011	13.00 बजे	कोलकाता
2009-10 (वार्षिक साधारण बैठक)	24.09.2010	13.00 बजे	हैदराबाद
2008-09 (वार्षिक साधारण बैठक)	21.09.2009	13.00 बजे	जादुगोड़ा

प्रमुख विशिष्टताएँ

अनुलग्नक-I
(लाख रुपयों में)

	विवरण	2011-12	2010-11	2010-11 की तुलना में वृद्धि/(कमी)
(क)	परिचालन परिणाम			
	टर्नओवर	68,218.88	72,699.55	(4,480.67)
	सकल आय	70,728.47	75,026.87	(4,298.40)
	सकल व्यय	62,163.62	59,085.51	3,078.11
	सकल लाभ	8,626.69	16,056.56	(7,429.87)
(ख)	कर पश्चात् शुद्ध लाभ	6,484.24	10,152.56	(3,668.31)
	वर्ष के अंत की वित्तीय स्थिति			
	शेयर पूँजी	143,961.78	143,961.78	-
	आरक्षित एवं अधिशेष	28,741.94	24,146.31	4,595.63
	नियोजित पूँजी	65,470.37	80,697.57	(15,227.20)
	निवल मालियत	172,703.72	168,108.09	4,595.63
	सकल निरुद्ध परिसंपत्ति	135,089.50	126,382.57	8,706.93
	मूल्य-हास	56,445.62	49,131.23	7,314.39
	शुद्ध निरुद्ध परिसंपत्ति	78,643.89	77,251.34	1,392.55
(ग)	सम्पत्ति सूची	7,727.87	8,668.96	(941.09)
	लाभकारिता तथा अन्य अनुपात			
	(i) प्रतिशतता :			
	बिक्री में सकल लाभ/(हानि)	12.65	22.09	
	बिक्री में शुद्ध लाभ/(हानि)	9.51	13.97	
	निवल मालियत में सकल लाभ/(हानि)	5.00	9.55	
	निवल मालियत में शुद्ध लाभ/(हानि)	3.75	6.04	
	नियोजित पूँजी में सकल लाभ/(हानि)	13.18	19.90	
	नियोजित पूँजी में शुद्ध लाभ/(हानि)	9.90	12.58	
	इकाई पूँजी में सकल लाभ/(हानि)	5.99	11.15	
	बिक्री में माल सूची	11.33	11.92	
	नियोजित पूँजी में बिक्री	104.20	90.09	



कम्पनी की वित्तीय स्थिति

अनुलग्नक-II

31 मार्च, 2012 तथा 2011 का संक्षिप्त तुलन पत्र

(लाख रुपयों में)

	विवरण	2011-12	2010-11	2010-11 की तुलना में वृद्धि/(कमी)
1 (क)	कम्पनी का स्वामित्व अचल परिसम्पत्ति सकल ब्लॉक घटाया : मूल्य हास शुद्ध ब्लॉक प्रगतिशील पूँजीगत कार्य/स्टॉक	135,089.50 56,445.62 78,643.88 120,724.11 199,367.99	126,382.57 49,131.23 77,251.34 100,730.24 177,981.58	8,706.93 7,314.39 1,392.54 19,993.87 21,386.41
(ख)	चालू परिसम्पत्तियाँ (i) व्यापाराधीन स्टॉक, भण्डार, प्रत्यक्ष माल, फुटकर देनदारी, उपार्जित व्याज (ii) नकद या वस्तु के रूप में या वस्तु से प्राप्त मूल्य के रूप में वसूली योग्य अग्रिम (iii) नकद तथा बैंक में जमा शेष राशि	11,858.43 7,602.88 24,661.26 44,122.57	13,511.04 7,507.77 25,512.34 46,531.15	(1,652.61) 95.11 (851.08) (2,408.58)
	उप-योग (क) योग - 1 (क + ख)	243,490.56	224,512.74	18,977.82
2	कम्पनी का ऋण (क) माल, सेवाओं, चालू देनदारियों तथा अन्य प्रावधानों के लिए (ख) कम्पनी की शुद्ध मालियत अंश पूँजी आरक्षित निधि एवं अधिशेष	69,635.11 143,961.78 28,741.94 172,703.72 7,705.51	57,217.68 143,961.78 24,146.31 168,108.09 7,522.66	12,417.43 - 4,595.63 4,595.63 182.85
	उप-योग (ख) योग 2 (क + ख + ग)	250,044.34	232,848.43	17,195.91

कम्पनी की आय तथा व्यय का लेखा

अनुलग्नक-III

31 मार्च, 2012 तथा 2011 का संक्षिप्त तुलन पत्र

(लाख रुपयों में)

	विवरण	2011-12	2010-11	2010-11 की तुलना में वृद्धि/(कमी)
1	कम्पनी की आय			
	(क) परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा यूरेनियम सांद्रों के अधिग्रहण से	67,667.19	72,158.84	(4,491.65)
	(ख) गौण उत्पादों की बिक्री (उत्पाद शुल्क को छोड़कर)	506.16	496.02	10.14
	(ग) अन्य प्राप्तियाँ	2,555.11	2,372.00	183.11
		70,728.46	75,026.87	(4,298.41)
	(घ) अन्तिम स्टॉक में वृद्धि/(हास)	(351.01)	998.23	(1,349.24)
	योग (1)	70,377.45	76,025.09	(5,647.64)
2	कम्पनी द्वारा भुगतान तथा व्यवस्था			
	(क) उपभुक्त सामग्री का मूल्य	4,910.10	4,837.44	72.66
	(ख) कर्मचारी हित में खर्च	18,572.18	19,814.51	(1,242.33)
	(ग) वित्तीय लागत (ब्याज पर व्यय)	1,817.43	302.92	1,514.51
	(घ) मूल्य हास और ऋणशोधन पर व्यय	7,183.90	8,245.34	(1,061.44)
	(ड.) अन्य व्यय	29,328.95	26,883.53	2,445.42
	योग (2)	61,812.56	60,083.74	1,728.82



कम्पनी की आय तथा व्यय का लेखा

अनुलग्नक-III (क्रमशः)


31 मार्च, 2012 तथा 2011 का संक्षिप्त लाभ-हानि लेखा

(लाख रुपयों में)


	विवरण	2011-12	2010-11	2010-11 की तुलना में वृद्धि/(कमी)
3	समायोजन पूर्व कम्पनी का सकल लाभ (1-2)	8,564.85	15,941.36	(7,376.50)
4	जिसका समायोजन निम्नानुसार किया गया पूर्वकालिक समायोजन कर पूर्व लाभ घटाया : आयकर का प्रावधान (आस्थगित कर सहित) कर पश्चात् लाभ विगत वर्ष का लाया गया अधिशेष विनियोग के पूर्व अधिशेष (4 क)	61.84 8,626.69 2,142.45 6,484.24 16,692.28 23,176.52	115.20 16,056.56 5,904.00 10,152.56 12,053.39 22,205.95	(53.36) (7,429.86) (3,761.55) (3,668.32) 4,638.89 970.57
	विनियोजन प्रस्तावित सामान्य आरक्षित निधि प्रस्तावित लाभांश प्रस्तावित लाभांश पर कर उप-योग (4ख) अधिशेष को तुलनपत्र में ले जाया गया (4क-4ख)	1,625.00 1,625.00 263.62 3,513.62 19,662.90	2,550.00 2,550.00 413.67 5,513.67 16,692.28	(925.00) (925.00) (150.05) (2,000.05) 2,970.62

मूल्य रूपए में

आय का वर्गीकरण




व्यय का वितरण




- कर्मचारियों का भुगतान 185.72 करोड़ (26.26%)
- मरम्मत एवं अनुकूलण 113.46 करोड़ (16.04%)
- कच्चा माल, स्टोर्स एवं स्पेयर्स 104.69 करोड़ (14.80%)
- ऊर्जा 60.37 करोड़ (9.54%)
- हास 73.15 करोड़ (10.34%)
- अन्य व्यवसायिक देय 67.38 करोड़ (9.17%)
- कर उपरान्त लाभ 64.84 करोड़ (3.02%)
- लाभांश 16.25 करोड़ (2.30%)
- कर (आस्थागित कर एवं लाभांश कर सहित) 21.42 करोड़ (3.02%)


आय में वृद्धि




निवल मालियत (नेटवर्थ)



नियोजित पूँजी में वृद्धि



सकल तथा शुद्ध परिसंपत्ति





लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन

सेवा में,

सदस्य गण

यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

1. हमने यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 31 मार्च, 2012 का संलग्न तुलन-पत्र कैश फ्लो विवरण तथा इसी तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष का लाभ-हानि खाता का अंकेक्षण किया। इन वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत करना कम्पनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व इन विवरणों का अंकेक्षण के आधार पर अपना अभिमत प्रकट करना है।
2. हमने लेखा परीक्षण भारत में अपनाई गई स्वीकृत मानक लेखा परीक्षण पद्धति के अनुसार किया है। इसके अनुसार इस प्रकार लेखा परीक्षण करना चाहिए जिससे कि हम न्यायपूर्वक विश्वास दिला सकें कि वित्तीय विवरणों में वस्तुओं के गलत विवरण को शामिल नहीं किया गया गया है। लेखा परीक्षण की जाँच परीक्षा की तरह किया जाता है जिसमें राशियों का समर्थन करते साक्ष्य तथा अनुलग्नक में उल्लेख रहता है। लेखा परीक्षण में लेखा उद्देश्यों का निर्धारण तथा प्रबंधन द्वारा विश्वसनीय अनुमान एवं प्रस्तुत किये गये सभी वित्तीय विवरणों का मूल्यांकन रहता है। हम विश्वास करते हैं कि हमारे द्वारा जो लेखा परीक्षण किया गया है वह हमारे विश्वासों का न्यायसंगत आधार प्रस्तुत करता है।
3. इन सूचनाओं को तथा कम्पनी संचालन से संबंधित कच्चे माल की खपत की जानकारी उपलब्ध करायी गई है जो परमाणु ऊर्जा विभाग के आदेश संख्या 10/8(12)/2004-पीएसयू/448 दिनांक 09 जुलाई, 2004 के तहत इस शर्त के साथ दी गई है कि उपर्युक्त आँकड़े लेखा परीक्षण प्रतिवेदन में नहीं दी जाएँगी।
4. भारत सरकार द्वारा जारी कम्पनी आदेश 2003 (लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन) एवं कम्पनी द्वारा यथा संशोधित (लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन) संशोधन आदेश 2004 के आदेशों सहित में की गई अपेक्षा के अनुसार कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 227 की उपधारा (4ए) में बताये गए विषय के अनुसार है। हम उपर्युक्त आदेश के अनुच्छेद 4

एवं 5 में दिये गये विषयों पर विवरण संलग्न अनुलग्नक में कर रहे हैं।

5. ऊपर पैरा 4 में उल्लिखित संलग्नक में दिये हमारे मंतव्य के आगे हम सूचित करते हैं कि-

(क) जादुगोड़ा में भाटिन सहित 1312.62 एकड़ खनन पट्टे का नवीकरण करना बाकी है तथा माहूलडीह से 288.20 एकड़ जमीन का खनन पट्टा अभी प्राप्त किया जाना है। आगे 31.77 एकड़ अतिरिक्त जमीन तुरामडीह के लिए, 290.45 हेक्टेयर जमीन के.पी.एम. में और 1301.38 एकड़ जमीन लाम्बापुर के लिए अधिकृत प्राधिकरण के साथ पत्राचार किया जा रहा है। (संदर्भ: लेखा पर अतिरिक्त टिप्पणी-27.2क)

(ख) राज्य सरकार/निजी पार्टी से अधिग्रहित 1548.09 एकड़ भूमि जिसका मूल्य 1517.59 लाख है का डीड ऑफ कनवेयेन्स लंबित है। (संदर्भ: लेखा पर अतिरिक्त टिप्पणी 27.2 (ख))

(ग) मुसाबनी में हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड (आई.सी.सी.) की 3 एकड़ जमीन के उपयोग का अनुबंध नहीं किया गया जिसके कारण उन्हें कोई भी राशि नहीं दी गई। इसलिए इस भूमि के उपयोग के लिए लेखा में कोई प्रावधान नहीं किया गया (संदर्भ: लेखा पर अतिरिक्त टिप्पणी 27.2 (ग))

(घ) विभिन्न न्यायालयों में आकस्मिक देयताओं के पड़े विचाराधीन मामले के प्रावधान/निष्पत्ति का परिणाम उपलब्ध नहीं होने के कारण लेखा में आकस्मिक देयताओं का कोई प्रावधान नहीं दिखलाया गया है। (संदर्भ: लेखा पर अतिरिक्त टिप्पणी 27.4 (iv))

(ड.) यद्यपि बाकी पुष्टि के लिए विभिन्न पार्टीयों को देनदारी, लेनदारी तथा अग्रिम के अंतर्गत पत्र निर्गत किये जा चुके हैं परन्तु सिर्फ कुछ लोगों ने ही इसका जवाब दिया है। यहाँ तक कि इनका पुनर्मिलान नहीं हो सका।

- च) कम्पनी भारत सरकार को बंद तुरामडीह परियोजना की सम्पन्नति की उस सीमा तक के लिए 1110.60 लाख रुपये के शेयर जारी नहीं की है जैसा कि भारत सरकार ने जून, 2003 में निर्देश दिया था। (संदर्भ: लेखे पर अतिरिक्त टिप्पणी 27.7 (ख))
6. ऊपर पैरा 4 एवं 5 में बताये गये मंतब्यों के अनुसार जिसे लेखा टिप्पणी के साथ पढ़ा गया (टिप्पणी सं0-27) हम सूचित करते हैं कि-
- क) हमें वे सारी सूचनाएँ एवं व्याख्याएँ उपलब्ध कराई गई हैं जो हमारी सर्वात्म जानकारी एवं विश्वास के अनुसार हमारे परीक्षणके लिए जरूरी थे।
- ख) हमारी राय में कम्पनी द्वारा कानून के अनुसार उचित लेखा खाते रखे गये हैं जैसा कि हमें इन खातों की जाँच के दोरान देखने को मिला।
- ग) तुलन-पत्र, लाभ-हानि लेखा तथा कैश फ्लो विवरण जिसका इस टिप्पणी में समावेश है लेखा-खाता के अनुसार है।
- घ) हमारी राय में कम्पनी की तुलन-पत्र, लाभ-हानि लेखा तथा कैश फ्लो विवरण जिसका उल्लेख इस रिपोर्ट में किया गया है। कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 उपधारा (3 सी) में उल्लिखित एकाउण्टिंग स्टेण्डर्ड का पालन करते हैं।
- ड.) केन्द्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 829 (ई) दिनांक 21.10.2003 के अनुसार कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 274(1)(जी) एवं विवरण के प्रावधान सरकारी
- कम्पनियों पर लागू नहीं होता है।
- च) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचनाओं एवं विवरण के अनुसार उक्त लेखा उसके साथ दी गई अतिरिक्त टिप्पणी संख्या 27 तथा लेखांकन नीतियों की टिप्पणी संख्या 26 में उल्लिखित है, कम्पनी अधिनियम 1956 के द्वारा माँगी गई सूचनाओं को अपेक्षित रूप में उपलब्ध कराता है तथा भारत में स्वीकृत लेखा नीतियों के अनुसार एक सच्ची एवं स्पष्ट विचार प्रस्तुत करता है।
- i) जहाँ तक तुलन-पत्र का सम्बंध है, वह 31 मार्च, 2012 तक कम्पनी के मामलों से सम्बंधित है।
- ii) जहाँ तक लाभ-हानि लेखा के सम्बंध में है, वह कम्पनी के लाभ इसी तारीख तक का है।
- iii) जहाँ तक कैश फ्लो विवरण के सम्बंध में है वह भी कम्पनी के इसी तारीख तक का है।

कृते तोड़ी तुलस्यान एण्ड क.
सनदी लेखाकार
फर्म रजि.सं. 002180सी

(सुशील कुमार तुलस्यान)
भागीदार
सदस्यता संख्या : 075899

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 31.08.2012



लेखा परीक्षकों के रिपोर्ट का अनुलग्नक

(31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सदस्यों को कम्पनी के लेखा पर हमारे सम दिनांक प्रतिवेदन के परिच्छेद 4 के अन्तर्गत लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन का अनुलग्नक)

1. (क) कम्पनी निश्चित परिस्थितियों का विवरण इलेक्ट्रॉनिक रूप में चालू वर्ष में रख रही है।
 (ख) कम्पनी की अपनी सभी परिस्थितियों की प्रत्यक्ष जाँच कराने का कार्यक्रम है जो हमारी राय तथा कम्पनी के आकार एवं सम्पत्तियों की प्रकृति के अनुसार न्यायसंगत है। परिस्थितियों की जाँच में कोई भिन्नता नहीं पाई गई।
 (ग) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचनाओं के अनुसार वर्ष के दौरान कम्पनी ने अपने अचल परिस्थितियों के किसी भी भाग को नहीं हटाया है। जिससे कम्पनी की चालू संस्थान की स्थिति प्रभावित नहीं होती है।
2. (क) जैसा कि हमें बताया गया, सभी सम्पत्तियों की प्रत्यक्ष जाँच वर्ष के दौरान स्वतंत्र पेशेवरों से उचित अन्तराल पर की गई।
 (ख) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचनाओं एवं विवरण के अनुसार, प्रबंधन द्वारा अपनाई गई वस्तुओं की जाँच की विधि कम्पनी के व्यवसाय के आकार एवं प्रकृति के अनुसार न्यायसंगत एवं पर्याप्त है। हालाँकि नये स्थान पर शुरू की गई परियोजना विशेष रूप से तुलापल्ली में ज्यादा विस्तार एवं लगातार जाँच की जरूरत है।
 (ग) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचनाओं के अनुसार कम्पनी द्वारा अपनी सम्पत्तियों का अभिलेख उचित ढंग से रखा जा रहा है। प्रत्यक्ष जाँच के दौरान पाई गई भिन्नता को लेखा बही में उचित रूप में ठीक कर लिया गया है।
- (3) हमें दी गई व्याख्याओं एवं सूचनाओं के अनुसार कम्पनी ने किसी कम्पनी फर्म या तीसरी पार्टी को सुरक्षित या असुरक्षित ऋण नहीं दिया है अथवा उनसे लिया है जिनका नाम कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के अन्तर्गत रखे जाने वाले रजिस्टर में दर्ज हैं। तदनुसार, कम्पनी (लेखा परीक्षकों के रिपोर्ट) आदेश 2003 (यथा संशोधित) के पैराग्राफ (3)(ख)(ग)(घ)(ड.)एवं (च) लागू नहीं होते।
- (4) हमारी राय में तथा हमें दी गयी सूचनाओं एवं व्याख्याओं के अनुसार कम्पनी को भण्डार, संयंत्र एवं मशीनरी, उपकरण तथा अन्य सम्पत्तियों के क्रय तथा सामानों की बिक्री के सम्बंध में आन्तरिक नियंत्रण पद्धति पर्याप्त है जो इस कम्पनी के आकार एवं व्यापार की प्रकृति के अनुकूल है। अपने अंकेक्षण के दौरान हमने आन्तरिक नियंत्रण की व्यवस्था में कोई बड़ी कमजोरी नहीं देखी। हालाँकि वर्क कान्ट्रैक्ट के क्षेत्र में आंतरिक नियंत्रण को पुनः विचार की जरूरत है।
 (5) हमें दी गई व्याख्याओं एवं सूचनाओं के अनुसार इस वर्ष में कोई लेनदेन नहीं हुआ जो अधिनियम की धारा 301 के अन्तर्गत रखे जाने वाले रजिस्टर में दर्ज किया जा सके।
 (6) कम्पनी अधिनियम, 1956 तथा उसके अन्तर्गत बनाये गए नियमों की उप धारा 58ए तथा 58ए० के अन्तर्गत तथा आर.बी.आई. द्वारा जारी किये गए निर्देशों के अनुसार कम्पनी ने सामान्य जन से कोई जमा राशि स्वीकार नहीं की है।
 (7) कम्पनी का अपना आन्तरिक लेखा परीक्षा विभाग है। कम्पनी का आन्तरिक लेखा परीक्षण इसके आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग तथा सनदी लेखाकार फर्म द्वारा किया जाता है। हमारी राय में कम्पनी के आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली इस वर्ष संतोषजनक था।
 (8) केन्द्रीय सरकार ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209(1) (डी) के अन्तर्गत कम्पनी को अपने उत्पादों का लागत अभिलेख रखने के लिए विनिहित किया है। हमने व्यापक रूप से उपर्युक्त अभिलेखों का परीक्षण किया तथा हम अपना मत व्यक्त करते हैं कि निर्धारित अभिलेख एवं लेखा सुव्यवस्थित रूप से रखे जाते हैं।
 (9) (क) हमें दी गई सूचनाओं एवं व्याख्याओं के अनुसार तथा हमारे द्वारा लेखा बहियों का परीक्षण करने के उपरांत यह पाया गया कि कम्पनी द्वारा कानूनी बकाया जिसमें भविष्य निधि, आयकर, बिक्रीकर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क सम्बंधित पदाधिकारी के पास

लेखा परीक्षकों के रिपोर्ट का अनुलग्नक

जमा कराया जाता है। हमें बताया गया कि कर्मचारी राज्य बीमा इस कम्पनी में प्रयोज्य नहीं है।

- (ख) हमें दी गई सूचनाओं एंव व्याख्याओं के अनुसार बिक्री कर की वह बकाया राशि जो विवाद के कारण जमा नहीं की गयी वह इस प्रकार है:

कानून की प्रकृति	बकाया की प्रकृति	राशि (₹.)	वह मंच जहाँ विवाद विचाराधीन है	वर्ष
बिक्री कर अधिनियम	वाणिज्यिक कर	215.20	अपीलीय प्राधिकारी	2002-03 से 2008-09

- (10) वित्तीय वर्ष के अन्त में कम्पनी में कोई जमा हानि नहीं है। चालू एंव तुरंत समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में नकद हानि नहीं हुई है।
- (11) चालू वर्ष में कम्पनी ने किसी वित्तीय संस्थान या बैंक को ऋण वापसी में कोई चूक नहीं की है और कम्पनी ने वर्ष के दौरान कोई ऋणपत्र जारी नहीं किया है।
- (12) हमारे रिकार्डों की जाँच के आधार पर एवं हमें दी गई सूचना एवं व्याख्याओं के अनुसार कम्पनी ने वर्ष के दौरान न तो कोई ऋण और न पेशागी का अनुमोदन किया है चाहे वह शेयर की सुरक्षा के आधार हो अथवा डिबेंचर या प्रतिभूति के आधार पर।
- (13) हमारी राय में कम्पनी चिटफंड, निधि/मुच्युअल बेनिफिट फंड/सोसाइटी नहीं है। इसलिए कम्पनी (लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन) आदेश के प्रावधान की धारा 4(xiii) 2003 (यथासंशोधित) कम्पनी के ऊपर लागू नहीं है।
- (14) हमें दी गई सूचनाओं एंव व्याख्याओं के अनुसार कम्पनी शेयर, सिक्युरिटी, डिबेंचर तथा अन्य निवेशों का व्यापार नहीं करती।
- (15) हमें दी गई सूचनाओं एंव व्याख्याओं के अनुसार कम्पनी ने वर्ष के दौरान किसी दूसरे के द्वारा लिये गए ऋण पर कोई गारंटी नहीं दी है चाहे वह बैंक से ली गई हो या अन्य वित्तीय संस्थानों से।
- (16) हमें दी गई सूचनाओं एंव व्याख्याओं के अनुसार कम्पनी ने चालू वर्ष में कोई मियादी ऋण नहीं लिया है।

- (17) हमें दी गई सूचनाओं एंव व्याख्याओं के अनुसार कम्पनी ने अल्प अवधि के लिए कोई निधि नहीं बनायी है है जिसे लम्बी अवधि के लिए विनियोग किया गया हो।
- (18) हमें दी गई सूचनाओं एंव व्याख्याओं के अनुसार कम्पनी ने वर्तमान वर्ष में किसी कम्पनी/पार्टी को शेयर का प्रिफरेंसियल अलॉटमेंट नहीं किया है जिनका नाम कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के अन्तर्गत रखी जाने वाली रजिस्टर में दर्ज होती है।
- (19) हमें दी गई सूचनाओं एंव व्याख्याओं के अनुसार लेखा परीक्षक प्रतिवेदन अवधि के दौरान कम्पनी ने कोई डिबेंचर जारी नहीं किया है।
- (20) वर्ष के दौरान कम्पनी ने पब्लिक इश्यू के द्वारा कोई राशि एकत्रित नहीं की है।
- (21) कम्पनी बुक एंव रिकार्डों की परीक्षण के दौरान, भारत में प्रचलित लेखा परीक्षण के अनुसार में लेखा परीक्षा किया गया है और हमारी जानकारी में तथा हमारे विश्वास एवं हमें दी गई सूचनाओं एंव व्याख्याओं के अनुसार वर्तमान वर्ष में कम्पनी द्वारा/कम्पनी पर किसी प्रकार का धोखा न तो देखा गया या रिपोर्ट किया गया, न ही प्रबन्धन द्वारा हमें इस प्रकार की कोई सूचना दी गई है।

कृते तोड़ी तुलस्यान एण्ड क.
सनदी लेखाकार
फर्म रजि.सं. 002180सी

(सुशील कुमार तुलस्यान)
भागीदार
सदस्यता संख्या : 075899

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 31.08.2012



कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत 31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, जादुगोड़ा के लेखे पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत बनाये गए वित्तीय रिपोर्टिंग संरचना के अनुसरण में 31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड की वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत करना कम्पनी प्रबंधन का दायित्व है। कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के अन्तर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 227 के अन्तर्गत वित्तीय विवरण के बारे में भारतीय सनदी लेखापाल संरक्षण के व्यावसायिक संस्थान के निर्धारित मानक के तहत निष्पक्ष रूप से लेखा परीक्षा करने का हमारा दायित्व है यह उनके लेखा प्रतिवेदन दिनांक 31-08-2012 के द्वारा किया गया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से मैंने 31मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड का अनुपूरक लेखा परीक्षा, कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(3) (ख) के अन्तर्गत किया है। अनुपूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षकों के द्वारा कार्यरत कागजातों को देखे बिना एवं सांविधिक लेखा परीक्षकों एवं कम्पनी के प्रतिवेदनों द्वारा प्रारम्भिक पूछताछ एवं कुछ चुने गये कागजातों एवं लेखा रिकार्डों के आधार पर किया गया है।

मेरे द्वारा पूरक लेखा परीक्षा के आधार पर कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) सांविधिक लेखा परीक्षकों के संबंध में किसी प्रकार की ऐसी विशेष बात मेरी जानकारी में नहीं आई है जिस पर कोई टिप्पणी की जा सके।

कृते एवं और से
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
नियंत्रक
ह./-

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 19.09.2012

जॉन. के. सेल्लेट
मुख्य निदेशक
मुख्य वाणिज्यिक लेखा परीक्षा निदेशक
एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड-IV

31 मार्च, 2012 की स्थिति का तुलन-पत्र

(लाख रुपयों में)

	टिप्पणी संख्या	31.03.2012 की स्थिति के अनुसार	31.03.2011 की स्थिति के अनुसार
I. इक्विटी एवं देयताएँ		रुपये	रुपये
1. अंशधारियों की निधियां			
(क) अंश पूँजी	1	143,961.78	143,050.78
(ख) आरक्षित एवं अधिशेष	2	28,741.93	24,146.31
2. आबंटन लंबित अंश आवेदन की राशि	3		911.00
3. गैर चालू देयताएँ			
(क) आस्थगित कर देयताएँ (शुद्ध)	4	7,705.51	7,522.66
(ख) अन्य दीर्घकालिक देयताएँ	5	3,469.27	3,659.59
(ग) दीर्घकालिक प्रावधान	6	2,315.99	2,137.48
4. चालू देयताएँ			
(क) अल्पकालीन उधार ग्रहण	7	26,553.39	12,192.62
(ख) व्यापार देय	8	2,548.33	2,217.12
(ग) अन्य चालू देयताएँ	9	29,468.20	25,941.48
(घ) अल्पकालीन प्रावधान	10	5,279.92	11,069.38
कुल		250,044.32	232,848.42
II. परिसम्पत्तियाँ			
1. गैर चालू परिसम्पत्तियाँ			
(क) स्थिर परिसम्पत्तियाँ			
(i) प्रत्यक्ष परिसम्पत्तियाँ	11क	77,479.02	76,033.71
(ii) अप्रत्यक्ष परिसम्पत्तियाँ	11ख	1,164.87	1,217.63
(iii) प्रगतिधीन पूँजीगत कार्य	12	120,724.11	100,730.24
(ख) दीर्घकालिक ऋण एवं अग्रिम	13	6,553.75	8,335.68
		205,921.75	186,317.26
2. चालू परिसम्पत्तियाँ			
(क) माल सूची	14	7,727.87	8,668.95
(ख) प्राप्तिवाग्य व्यापार	15	2,753.41	3,060.79
(ग) नकद एवं बैंक जमा	16	24,661.26	25,512.35
(घ) अल्पकालीन ऋण एवं अग्रिम	17	7,602.88	7,507.77
(ड.) अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ	18	1,377.15	1,781.30
कुल		44,122.57	46,531.16
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	26	250,044.32	232,848.42
लेखे पर की टिप्पणियाँ	27		

उपरोक्त उल्लिखित टिप्पणियाँ लेखे का एक अभिन्न अंग है।

यह हमारे संलग्नक सम दिनांक के अनुसार हस्ताक्षरित है।

कृते तोड़ी तुलस्यान एण्ड क.

सनदी लेखांकर

फर्म रजि.सं. 002180सी

(सुशील कुमार तुलस्यान)

भागीदार

सदस्यता संख्या : 075899

स्थान : कोलकाता

दिनांक : 31.08.2012

कृते एवं बोर्ड के तरफ से

बी. सी. गुप्ता

कम्पनी सचिव

आर. पी. गुप्ता

निदेशक (वित्त)

एस. के. श्रीवास्तव

निदेशक (तकनीकी)

डी. आचार्य

अध्यक्ष एवं

प्रबंध निदेशक



31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ एवं हानि का लेखा

(लाख रुपयों में)

	टिप्पणी संख्या	31.03.2012	31.03.2011
I प्रचालन से प्राप्त राजस्व	19		
परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा अनिवार्य रूप से अधिग्रहण किये गए यूरेनियम सान्दर्भों की क्षतिपूर्ति उपोत्यादों की बिक्री		67,667.19 551.69 68,218.88 45.53 68,173.35	72,158.84 540.70 72,699.54 44.68 72,654.86
घटाया : उपोत्याद पर सीमा शुल्क टर्न ओवर (शुद्ध)			
II अन्य आय	20		2,555.11
III कुल राजस्व (I+II)			70,728.46
IV व्यय			
उपभुक्त सामग्री की लागत	21	4,910.10	4,837.44
तैयार माल एवं प्रातिधीन कार्य के सम्पत्तिसूची में परिवर्तन	22	351.07	(998.23)
कर्मचारियों के लाभ हेतु व्यय	23	18,572.17	19,814.50
वित्तीय लागत (ब्याज पर व्यय)		1,817.43	302.92
मूल्य हास एवं परिशोधन व्यय	11क तथा ख	7,183.90	8,245.34
अन्य व्यय	24	29,328.94	26,883.53
कुल व्यय (iv)		62,163.61	59,085.50
V अपवाद एवं असामान्य मदों एवं कर के पूर्व लाभ		8,564.85	15,941.36
VI असामान्य मदें			
जोड़ा : पूर्वकालिक समायोजन	25	61.84	115.20
VII कर पूर्व लाभ (V+VI)		8,626.69	16,056.56
VIII कर पर व्यय			
वर्ष के लिए		2,680.00	5,851.50
पूर्व वर्ष के लिए		(720.41)	318.51
आस्थगित कर		182.86	(266.01)
IX वर्ष के लिए लाभ/((हानि) (VII-VIII)		6,484.24	10,152.56
X प्रति साम्यिक शेयर आय			
(1) बेसिक (रु.)		45.11	73.94
(2) डायल्यूटेड (रु.)		45.11	72.42
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	26		
लेखे पर की टिप्पणियाँ	27		
उपरोक्त उल्लिखित टिप्पणियाँ लेखे का एक अभिन्न अंग है।			

यह हमारे संलग्नक सम दिनांक के अनुसार हस्ताक्षरित है।

कृते तोड़ी तुलस्यान एण्ड क.

सनदी लेखाकार

फर्म रजि.सं. 002180सी

(सुशील कुमार तुलस्यान)

भागीदार

सदस्यता संख्या : 075899

स्थान : कोलकाता

दिनांक : 31.08.2012

कृते एवं बोर्ड के तरफ से

बी. सी. गुप्ता

कम्पनी सचिव

आर. पी. गुप्ता

निदेशक (वित्त)

एस. के. श्रीवास्तव

निदेशक (तकनीकी)

डी. आचार्य

अध्यक्ष एवं

प्रबंध निदेशक

टिप्पणी-1

अंश पूँजी

(लाख रुपयों में)

	31.03.2012 की स्थिति के अनुसार	31.03.2011 की स्थिति के अनुसार
	रुपये	रुपये
प्राधिकृत पूँजी		
प्रत्येक 1,000 रुपये के 2,50,00,000 साम्यिक अंश (गत वर्ष 1,50,00,000)	250,000.00	150,000.00
निर्गमित अभिदत्त एवं प्रदत्त पूँजी		
क) प्रत्येक 1,000 रुपये के 1,00,000 (गत वर्ष 1,00,000) साम्यिक अंश जिसका भुगतान 581/- रुपये तक नगद से भिन्न रूप में तथा 419/- रुपये नगद मूल्य लेकर किया गया ।	1,000.00	1,000.00
ख) प्रत्येक 1,000 रुपये के 1,853/- (विगत वर्ष 1853/-) साम्यिक अंश का आबंटन से भिन्न प्रतिदाय के लिये पूर्ण प्रदत्त में किया गया ।	18.53	18.53
ग) प्रत्येक 1,000 रुपये के 1,42,94,325/- (विगत वर्ष 1,42,03,225/-) साम्यिक अंश जिसका नगद भुगतान किया गया ।	142,943.25	142,032.25
कुल	143,961.78	143,050.78

1.1	बकाया साम्यिक अंश के आंकड़ों का पुनर्मिलान	2011-12	2010-11
	वर्ष के आरम्भ में बकाया साम्यिक अंश	14,305,078	12,534,278
	वर्ष के दौरान आवंटित साम्यिक अंश	91,100	1,770,800
	वर्ष के अंत में बकाया साम्यिक अंश	14,396,178	14,305,078
1.2	14396175 संख्या में साम्यिक अंश भारत के राष्ट्रपति के नाम हैं।		



टिप्पणी-2

आरक्षित एवं अधिशेष निधि

(लाख रुपयों में)

	31.03.2012 की स्थिति के अनुसार	31.03.2011 की स्थिति के अनुसार
	रुपये	रुपये
I आरक्षित निधि		
विगत वित्तीय विवरण के अनुसार अधिशेष	2.11	2.11
II निवेश भत्ता उपयोग आरक्षित निधि		
विगत वित्तीय विवरण के अनुसार अधिशेष	190.71	190.71
III सामान्य आरक्षित निधि		
विगत वित्तीय विवरण के अनुसार अधिशेष	7,261.21	4,711.21
जोड़ा: लाभ एवं हानि खाते से स्थानान्तरण	1,625.00	2,550.00
	8,886.21	7,261.21
IV लाभ एवं हानि खाता		
विगत वित्तीय विवरण के अनुसार अधिशेष	16,692.28	12,053.39
जोड़ा: लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार अधिशेष	6,484.24	10,152.56
विनियोग पूर्व (1) अधिशेष	23,176.52	22,205.95
विनियोजन		
सामान्य आरक्षित निधि के हस्तांतरित	1,625.00	2,550.00
प्रस्तावित लाभांश	1,625.00	2,550.00
प्रस्तावित लाभांश पर कर	263.62	413.67
कुल विनियोजन (ii)	3,513.62	5,513.67
विनियोजन (I-II) पश्चात् अधिशेष	19,662.90	16,692.28
कुल (I से IV तक)	28,741.93	24,146.31

टिप्पणी-3

अंश पूँजी लंबित आबंटन

(लाख रुपयों में)

	31.03.2012 की स्थिति के अनुसार	31.03.2011 की स्थिति के अनुसार
	रुपये	रुपये
अंश पूँजी लंबित आबंटन		
परमाणु ऊर्जा विभाग भारत सरकार से प्राप्त अंश पूँजी चालू वित्त वर्ष में शून्य (91100 अंश पूँजी का प्रत्येक 1000/-)	-	911.00
कुल	-	911.00

टिप्पणी-4

आस्थगित कर देयताएँ (शुद्ध)

	31.03.2012 की स्थिति के अनुसार	31.03.2011 की स्थिति के अनुसार
	रुपये	रुपये
क) आस्थगित कर देयताएँ अचल संपत्ति से सम्बंधित	7,838.93	7,721.98
ख) आस्थगित कर सम्पत्तियाँ		
1. अप्रयुक्त भण्डार के लिए प्रावधान	69.15	66.62
2. छुट्टी वेतन के लिए प्रावधान	45.27	106.23
3. स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के तहत् क्षतिपूर्ति	9.76	24.62
4. खान बंदी दायित्व के लिए प्रावधान	7.19	-
5. राजस्व को प्रभारित पूर्वप्रदत्त व्यय	2.05	1.85
	133.42	199.32
आस्थगित कर देयताएँ (शुद्ध)	7,705.51	7,522.66



टिप्पणी-5

अन्य दीर्घकालिक देयताएँ

(लाख रुपयों में)

	31.03.2012 की स्थिति के अनुसार	31.03.2011 की स्थिति के अनुसार
	रुपये	रुपये
1. के.पी.एम. परियोजना के लिए सरकार से सहायक अनुदान	1,134.91	1,642.28
2. गोगी परियोजना के लिए ए.एम.डी. से प्राप्त निधि	1,432.71	1,529.08
3. ठेकेदारों एवं आपूर्तिकर्ताओं को देयताएँ	901.65	488.23
कुल	3,469.27	3,659.59
5.1 के.एम.पी. परियोजना के लिए भारत सरकार से सहायक अनुदान, उसपर अर्जित ब्याज सहित।		
5.2 कीलंग पीडेंगसोहियोग खनन एवं मिलिंग परियोना, माउथाबाह, मेघालय के ढांचागत विकास के लिए कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार से अनुदान के रूप में केवल 4000 लाख रुपये प्राप्त हुए (गत वर्ष 4000 लाख रुपये) कुल 4000 लाख रुपये में से 2447.09 लाख रुपये (गत वर्ष 1857.42) लाख रुपये 31.3.2012 तक के.एच.ए.डी.सी. ने सम्पत्र कार्य के लिए 2329.33 लाख रुपये का भुगतान जारी किया।		

टिप्पणी-6

दीर्घकालिक प्रावधान

	31.03.2012 की स्थिति के अनुसार	31.03.2011 की स्थिति के अनुसार
	रुपये	रुपये
1. कर्मचारियों के छुट्टी नकदीकरण हेतु प्रावधान	2,205.63	2,049.28
2. खान बंदी दायित्व के लिए प्रावधान	110.36	88.20
कुल	2,315.99	2,137.48

टिप्पणी-7

अल्प कालीन उधार ग्रहण

(लाख रुपयों में)

	31.03.2012 की स्थिति के अनुसार	31.03.2011 की स्थिति के अनुसार
	रुपये	रुपये
क) प्रतिभूत		
1. बैंक से ऋण (स्थिर जमा के विरुद्ध अधिक निकासी)	15,293.39	12,192.62
ख) अप्रतिभूत		
2. बैंक से ऋण	11,260.00	-
कुल	26,553.39	12,192.62
7.1 अप्रतिभूत ऋण का विवरण		
कम्पनी ने 4260 लाख रुपये 180 दिनों के लिए केनरा बैंक से अल्पकालीन ऋण लिया, जिसकी परिपक्वता तिथि 14.09.2012 थी। बैंक ऑफ बड़ौदा से 180 दिनों के लिए 3000 लाख रुपये, परिपक्वता तिथि 12.04.2012 एवं बैंक ऑफ बड़ौदा से 180 दिनों के लिए 4000 लाख रुपये, परिपक्वता तिथि 29.06.2012		

टिप्पणी-8

व्यापार देय

	31.03.2012 की स्थिति के अनुसार	31.03.2011 की स्थिति के अनुसार
	रुपये	रुपये
1. फुटकर देनदारियाँ		
क) एस.एस.आई. अण्डरटेकिंग	74.64	35.52
ख) अन्य	2,473.69	2,181.60
कुल	2,548.33	2,217.12

8.1 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम संस्थाओं से सम्बंधित प्रकटीकरण

	31.03.2012 की स्थिति के अनुसार	31.03.2011 की स्थिति के अनुसार
31 मार्च को बकाया मूलधन	74.64	35.52
31 मार्च को उस पर प्राप्य एवं अदत्त ब्याज	3.88	3.87
आपूर्तिकर्ता को भुगतान किया गया ब्याज	-	3.41
वर्ष के दौरान आपूर्तिकर्ता को निर्धारित तिथि को भुगतान किया गया	465.97	283.04
विलंब अवधि के लिए प्राप्य एवं देय	3.88	3.87
31 मार्च को अदत्त उपचित एवं शेष ब्याज	7.76	3.87
बाद के वर्षों में शेष एवं देय ब्याज की राशि	7.76	3.87

8.2 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम संस्थाओं के बारे में प्रकटीकरण संबंधित आपूर्तिकर्ताओं द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर किया गया है।



यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

टिप्पणी-9

अन्य चालू देयताएँ

(लाख रुपयों में)

	31.03.2012 की स्थिति के अनुसार	31.03.2011 की स्थिति के अनुसार
	रुपये	रुपये
1. बुक ओवरड्राफ्ट	807.67	763.70
2. ठेकेदारों एवं आपूर्तिकर्ताओं को देयताएँ	22,565.09	18,691.16
3. कर्मचारियों एवं ए.ई.सी.एस. को देयताएँ	2,223.05	2,227.79
4. सरकारी संस्थानों को देयताएँ	3,389.52	3,725.47
5. कर एवं शुल्क के लिए देयताएँ	320.33	388.34
6. अन्य व्यय हेतु देयताएँ	162.54	145.02
कुल	29,468.20	25,941.48

टिप्पणी-10

अल्प कालीन प्रावधान

	31.03.2012 की स्थिति के अनुसार	31.03.2011 की स्थिति के अनुसार
	रुपये	रुपये
1. ग्रेच्युटी हेतु प्रावधान	426.11	1965.10
2. छुट्टी नकदीकरण हेतु प्रावधान	156.77	142.03
3. कर निर्धारण के लिए	2,681.57	5,853.07
4. प्रस्तावित लाभांश	1,625.00	2,550.00
5. प्रस्तावित लाभांश पर कर	263.62	413.67
6. बिक्री कर एवं उत्पाद शुल्क के लिए प्रावधान	60.28	61.97
7. सी.आई.एस.एफ. को देने हेतु प्रावधान	61.38	80.04
8. अन्य के लिए प्रावधान	5.19	3.50
कुल	5,279.92	11,069.38

टिप्पणी-11

स्थायी

सकल ब्लॉक				
विवरण	01.04.2011 को	जोड़ा/ समायोजन	बिक्री/ समायोजन	31.03.2012 को
(क) प्रत्यक्ष परिसम्पत्तियाँ				
लौज भूमि	680.56	-	-	680.56
स्वतंत्र भूमि	3258.80	358.43	-	3617.23
फैक्टरी भवन	16341.51	1900.02	-	18241.53
अन्य भवन	9720.90	139.26	-	9860.16
संयंत्र एवं मशीनरी	67699.18	4804.14	0.56	72502.77
विद्युत प्रतिस्थापन	12943.30	1329.05	0.09	14272.26
ओपेनकास्ट खान	12235.28	-	-	12235.28
फर्नीचर एवं साज सामान	561.30	27.15	-	588.45
उपकरण	768.17	27.78	1.35	794.60
वाहन	775.08	123.12	-	898.20
कुल	124984.08	8708.95	2.00	133691.03
(ख) अप्रत्यक्ष परिसम्पत्तियाँ (वन भूमि में उपयोग के लिए)	1398.47	-	-	1398.47
योग	1398.47	-	-	1398.47
कुल योग	126382.55	8708.95	2.00	135089.50
गत वर्ष	123149.63	3232.94	-	126382.57

- टिप्पणी :**
- वर्ष के लिए रुपये 7315.05 लाख (गत वर्ष रुपये 8289.16 लाख) मूल्यहासित करआबंटित किया गया :
 - लाभहानि खाता में ₹. 7183.90 (गत वर्ष 8245.34 लाख)
 - परियोजना पर अप्रत्यक्ष खर्च रुपये 131.15 लाख (गत वर्ष रुपये 43.64 लाख)
- ₹.5000/--एवं उससे कम लागत की अचल परिसम्पत्ति रुपये 20.97 लाख (गत वर्ष रुपये 20.71 लाख) को इस वर्ष पूर्ण रूप से मूल्यहासित किया गया ।
 - सड़क पुल एवं पुलियों सहित निर्माण में उच्च श्रेणी पुल का निर्माण (जो कम्पनी की अपनी जमीन पर नहीं है) में रुपये 419.78 लाख (सकल राशि) (गत वर्ष रुपये 419.78 लाख) खर्च किया गया ।
 - अप्रत्यक्ष परिसम्पत्तियाँ 553.24 एकड़ (गत वर्ष 553.24 एकड़) 1398.47 लाख रुपये (गत वर्ष रुपये 1398.47 लाख) की वन भूमि भी शामिल है जो झारखण्ड सरकार से विशिष्ट उपयोग के लिए प्राप्त किया गया है और उसका स्वामित्व झारखण्ड सरकार के पास है ।



परिसम्पत्तियाँ

(लाख रुपयों में)

मूल्य हास					शुद्ध ब्लॉक	
01.04.2011 को	इस वर्ष के लिए	बिक्री/ समायोजन	गत वर्ष के लिए	31.03.2012 तक कुल प्रावधान	31.03.2012 को	31.03.2011 को
341.31	40.11	-	-	381.42	299.14	339.25
48.65	-	-	-	48.65	3568.58	3210.15
3677.57	518.14	-	-	4195.71	14045.82	12663.95
2216.74	166.48	-	-	2383.22	7476.94	7504.16
36717.78	5195.33	0.22	-	41912.89	30589.88	30981.40
3334.17	628.59	0.09	-	3962.67	10309.59	9609.13
1376.47	611.76	-	-	1988.23	10247.05	10858.81
303.53	34.15	-	-	337.68	250.77	257.77
473.89	21.59	0.34	-	495.14	299.46	294.28
460.27	46.14	-	-	506.41	391.79	314.81
48950.38	7262.29	0.65	0.00	56212.02	77479.02	76033.71
180.84	52.76	-	-	233.60	1164.87	1217.63
180.84	52.76			233.60	1164.87	1217.63
49131.22	7315.05	0.65		56445.62	78643.89	77251.34
40842.06	8288.98	-	0.19	49131.23	77251.34	82307.57

टिप्पणी-12

प्रगतिधीन पूँजीगत कार्य

(लाख रुपयों में)

	31.03.2012 की स्थिति के अनुसार	31.03.2011 की स्थिति के अनुसार
	रुपये	रुपये
1. जादुगोड़ा खान तथा संयंत्र	381.14	71.61
2. नरवापहाड़ खान	4.71	17.51
3. तुरामडीह परियोजना	1,004.80	965.10
4. बागजाता खान परियोजना	6,029.97	5,925.09
5. तुरामडीह मिल परियोजना	80.35	507.90
6. बांदुहुरांग खान परियोजना	78.78	15.71
7. माहुलडीह खान परियोजना	2,974.93	2,296.70
8. तुमल्लापल्ली परियोजना	103,298.41	85,549.87
9. तुरामडीह खान विस्तारण परियोजना	1,046.92	907.56
10. तुरामडीह संयंत्र विस्तारण परियोजना	4,093.99	2,824.96
11. परियोजना पूर्व के खर्च		
क) लाम्बापुर परियोजना	691.38	-
ख) के.पी.एम. परियोजना	686.65	-
ग) तुमल्लापल्ली विस्तारण परियोजना	64.96	-
घ) गोगी परियोजना	104.57	-
	1,547.56	663.75
12. स्टॉक में पूँजीगत सम्पत्ति जिसका प्रतिस्थापन/उपयोग अभी किया जाना बाकी है मार्गस्थ सहित जिसमें रु.42.89.लाख (गत वर्ष रु.13.04 लाख)	182.55	646.81
योग	120,724.11	64.26
		92.83
		180.58
		100,730.24

12.1 उपर्युक्त क्रम सं0 11 में दर्शाये गए परियोजना का अनुमोदन भारत सरकार से प्राप्त करना बाकी है।



टिप्पणी-13

दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम

(लाख रुपयों में)

	31.03.2012 की स्थिति के अनुसार	31.03.2011 की स्थिति के अनुसार
	रुपये	रुपये
1. अग्रिम पूँजी		
i) प्रतिभूत जो वसूली योग्य समझी गई	4686.49	6389.89
ii) अप्रतिभूत जो वसूली योग्य समझी गई	849.77	1035.64
कुल (1)	5536.26	7425.53
2. प्रतिभूत जमा		
i) प्रतिभूत जो वसूली योग्य समझी गई	-	-
ii) अप्रतिभूत जो वसूली योग्य समझी गई	82.12	80.85
कुल (2)	82.12	80.85
3. अन्य ऋण एवं अग्रिम		
i) प्रतिभूत जो वसूली योग्य समझी गई कर्मचारियों को दिया गया गृह निर्माण अग्रिम	837.74	735.79
ii) अप्रतिभूत जो वसूली योग्य समझी गई कर्मचारियों को दिया गया अग्रिम	97.63	93.51
कुल (3)	935.37	829.30
कुल (1+2+3)	6,553.75	8,335.68

टिप्पणी-14

माल सूची

(लाख रुपयों में)

	31.03.2012 की स्थिति के अनुसार	31.03.2011 की स्थिति के अनुसार
	रुपये	रुपये
1. माल सूची (जैसा कि प्रबन्धक द्वारा प्रमाणित किये गये मूल्यांकन के अनुसार लिया गया है)		
अ) प्रत्यक्ष सामग्रियाँ	260.34	432.69
ब) भण्डार एवं कलपूर्जे		
i) भण्डार एवं कलपूर्जे	2,519.90	-
ii) मार्गस्थ भण्डार	568.87	-
	3,088.77	847.21
घटाया : अप्रयुक्त भण्डार के लिए प्रावधान	213.14	-
	2,875.63	3,493.84
		200.55
		3,293.29
स) व्यापाराधीन स्टॉक		
i) अयस्क	3,041.38	-
ii) प्रक्रियाधीन कार्य	1,289.03	-
iii) उपोत्पाद	18.32	-
घटाया : प्रावधान (उपोत्पाद)	3.25	-
	15.07	13.59
iv) रही माल	246.42	-
	4,591.90	3.25
योग (अ+ब+स)	7,727.87	10.34
		144.84
		8,668.95

टिप्पणी-15

व्यापार प्राप्तियाँ

	31.03.2012 की स्थिति के अनुसार	31.03.2011 की स्थिति के अनुसार
	रुपये	रुपये
1. छ: महीने से अधिक		
i) वसूली योग्य समझा गया	-	-
ii) संदेहास्पद समझा गया	-	-
2. अन्य ऋण (वसूली योग्य)	2,753.41	3,060.79
कुल	2,753.41	3,060.79



टिप्पणी-16

नकद एवं बैंक में जमा शेष

(लाख रुपयों में)

	31.03.2012 की स्थिति के अनुसार	31.03.2011 की स्थिति के अनुसार
	रुपये	रुपये
क) नकदी एवं नकदी तुल्य		
1. नकद जो पास है (अग्रदाय राशि एवं टिकट सहित) जैसा कि प्रमाणित किया गया है।	9.72	11.24
2. बैंक में जमा शेष		
क) चालू खाता	131.48	288.63
ख) 3 माह की परिपक्वता वाली जमा राशि (बिना ग्रहणाधिकार)	4,556.00	-
उप योग (क) कैश फ्लॉ विवरण के अनुसार नकद एवं नकदी तुल्य	4,697.20	299.87
ख) अन्य बैंक अधिशेष		
ग) 3 माह से अधिक की परिपक्वता वाली जमा राशि		
i) ग्रहणाधिकारी अन्तर्गत जमा (ओ डी तथा एल सी)	19,203.19	19,680.76
ii) ग्रहणाधिकार के बिना जमा	760.87	5,531.72
उप योग (ख)	19,964.06	25,212.48
कुल (क+ख)	24,661.26	25,512.35

टिप्पणी-17

अल्पकालीन ऋण एवं अग्रिम

(लाख रुपयों में)

	31.03.2012 की स्थिति के अनुसार	31.03.2011 की स्थिति के अनुसार
	रुपये	रुपये
क) प्रतिभूत जो वसूली योग्य समझी गई कर्मचारियों को दिया गया अग्रिम	147.15	152.41
ख) अप्रतिभूत जो वसूली योग्य समझी गई कर्मचारियों को दिया गया अग्रिम	218.09	207.33
ख) आपूर्तिकर्ताओं को दिया गया अग्रिम		
i) वसूली योग्य समझा गया	921.32	575.25
ii) संदेहास्पद समझा गया	2.33	2.33
	923.65	577.58
घटाया : संदेहास्पद पेशागियों का प्रावधान किया गया	2.33	2.33
	921.32	575.25
ग) टेकेदारों, सरकारी विभागों इत्यादि को दिया गया अग्रिम	977.20	464.28
घ) कर की अग्रिम राशि	4,436.54	4,841.90
ड.) अन्य प्राप्तियाँ		
i) वसूली योग्य समझा गया	855.27	1,200.54
ii) संदेहास्पद समझा गया	-	1.15
	855.27	1,201.69
घटाया : संदेहास्पद ऋणों के लिए प्रावधान	-	1.15
	855.27	1,200.54
च) कर्मचारियों से वसूली योग्य अन्य राशियाँ	33.16	54.68
छ) पूर्व-प्रदत्त व्यय	14.15	11.38
योग		
	7,602.88	7,507.77

टिप्पणी-18

अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ

	31.03.2012 की स्थिति के अनुसार	31.03.2011 की स्थिति के अनुसार
	रुपये	रुपये
1. उपचित ब्याज	1,377.15	1,781.30
कुल	1,377.15	1,781.30



टिप्पणी-19

प्रचालन से प्राप्त राजस्व

(लाख रुपयों में)

	31.03.2012 की स्थिति के अनुसार	31.03.2011 की स्थिति के अनुसार
	रुपये	रुपये
1. परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा अनिवार्य रूप से अधिग्रहण किये गये यूरेनियम सांदर्भों की क्षतिपूर्ति	67,667.19	72,158.84
2. उत्पाद की बिक्री	551.69	540.70
उप योग		
घटाया : उपोत्पाद पर उत्पाद शुल्क	68,218.88	72,699.54
टर्नओवर (शुद्ध)	45.53	44.68
	68,173.35	72,654.86

टिप्पणी-20

अन्य प्राप्तियाँ

	31.03.2012 की स्थिति के अनुसार	31.03.2011 की स्थिति के अनुसार
	रुपये	रुपये
क) ब्याज		
1. बैंकों में जमा पर ब्याज	1,939.80	1,889.23
2. अन्य	97.58	90.18
उप योग (क)	2,037.38	1,979.41
ख) अन्य अप्रचालन से प्राप्तियाँ		
1. अवशिष्ट सामग्रियों की बिक्री से प्राप्त राशि	208.30	66.69
2. प्रतिभूत जमा एवं बयाना राशि की जप्ती से प्राप्त राशि	2.15	1.72
3. उपकरणों तथा वाहनों का किराया	3.03	3.73
4. आपूर्तिकर्त्ताओं से पैकिंग सुधार भाड़ा एवं दण्ड आदि की वसूली	8.94	11.15
5. निविदा प्रपत्रों की बिक्री	11.47	15.76
6. बीमा के दावों के निपटारे की राशि	0.20	1.21
7. देयताएँ एवं प्रावधान जिसकी आवश्यकता नहीं रही	11.79	6.35
8. आवासीय प्राप्तियाँ	229.19	223.68
9. विविध	42.66	62.30
उप योग (ख)	517.73	392.59
कुल योग (क+ख)	2,555.11	2,372.00

टिप्पणी-21

उपभुक्त सामग्रियों का मूल्य

(लाख रुपयों में)

	31.03.2012 की स्थिति के अनुसार	31.03.2011 की स्थिति के अनुसार
	रुपये	रुपये
1. उपभुक्त कच्चे माल	4,910.10	4,837.44
कुल	4,910.10	4,837.44

टिप्पणी-22

तैयार सामग्रियों तथा प्रगतिधीन कार्य की सम्पत्ति सूची में परिवर्तन

	31.03.2012 की स्थिति के अनुसार	31.03.2011 की स्थिति के अनुसार
	रुपये	रुपये
प्रारम्भिक शेष		
अयस्क	3,759.41	2,317.66
उपोत्पाद	13.59	10.81
प्रक्रियाधीन कार्य	1,028.38	1,504.41
स्कैप	144.84	115.11
	4,946.22	3,947.99
अंतिम शेष		
अयस्क	3,041.38	3,759.41
उपोत्पाद	18.32	13.59
प्रक्रियाधीन कार्य	1,289.03	1,028.38
स्कैप	246.42	144.84
	4,595.15	4,946.22
भण्डार में पूर्ण वृद्धि/(कमी)	351.07	(998.23)



टिप्पणी-23

कर्मचारियों के लाभ पर व्यय

(लाख रुपयों में)

	31.03.2012 की स्थिति के अनुसार	31.03.2011 की स्थिति के अनुसार
	रुपये	रुपये
1. वेतन तथा मजदूरी	16002.25	14800.32
2. भविष्य निधि में अंशदान	1431.06	1660.48
3. उपदान निधि में अंशदान	768.31	2800.45
4. कल्याण निधि में अंशदान	1.00	0.99
5. सेवानिवृत्ति कोष में अंशदान	71.22	110.93
6. छुट्टी यात्रा रियायत पर व्यय	49.49	219.52
7. कर्मचारियों के कल्याणार्थ व्यय	248.84	221.81
योग	18572.17	19814.50

- 23.1 वेतन तथा मजदूरी सहित अन्य लाभ रुपये 215.35 लाख (गत वर्ष रुपये 238.14 लाख) में जल की लागत से सम्बंधित वेतन एवं मादूरी तथा अन्य लाभ में सम्मिलित नहीं हैं।

टिप्पणी-24

अन्य व्यय

(लाख रुपयों में)

	31.03.2012 की स्थिति के अनुसार	31.03.2011 की स्थिति के अनुसार
	रुपये	रुपये
1. भण्डार एवं कलपुर्जों का उपभोग	5559.34	5234.26
2. बिजली एवं इंधन	6036.88	5657.01
3. भवन मरम्मत	404.19	270.00
4. संयंत्र एवं मशीनरी का मरम्मत	8222.20	6321.43
5. अन्य मरम्मति	2719.91	3679.66
6. बीमा	19.21	15.48
7. दर्दे एवं कर, आय पर कर छोड़कर	64.94	40.89
8. जल	531.22	483.98
9. स्वामित्व शुल्क	1397.24	1486.55
10. परिवहन व्यय	567.70	405.33
11. सुरक्षा पर व्यय	1530.74	1495.42
12. नगरक्षेत्र एवं सामाजिक सुविधाओं पर व्यय	685.77	593.29
13. यात्रा व्यय	103.09	101.54
14. टेलीफोन व्यय	37.39	36.94
15. मुद्रण एवं लेखन सामग्री	31.62	30.21
16. तार एवं डाक व्यय	13.93	9.83
17. विधि विषयक व्यय	2.91	11.81
18. विज्ञापनों पर व्यय	267.68	126.09
19. बिक्री कर	29.14	20.31
20. लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक	15.19	10.58
21. भाड़ा एवं हैंडलिंग प्रभार	90.99	81.98
22. अप्रचलित भण्डार	12.60	19.23
23. खान बंदी दायित्व के लिए प्रावधान	22.16	23.86
24. दान	1.00	1.00
25. कॉरपोरेट का सामाजिक दायित्व व्यय	322.67	182.66
26. अन्य विविध व्यय	639.23	544.19
कुल	<hr/> 29328.94	<hr/> 26883.53

मरम्मत एवं अनुरक्षण में उपयुक्त भण्डार के रुपये 2788.97 लाख (गत वर्ष रुपये 2417.67 लाख) सम्मिलित हैं तथा कलपुर्जों रुपये 2304.49 लाख (गत वर्ष रुपये 3865.69 लाख) कुल रुपये 8093.46 लाख (गत वर्ष रुपये 6283.36 लाख) जिसे “भण्डार एवं कलपुर्जे” में सम्मिलित नहीं किया गया।



यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

टिप्पणी-24

अन्य व्यय (क्रमशः)

(लाख रुपयों में)

	31.03.2012 की स्थिति के अनुसार	31.03.2011 की स्थिति के अनुसार
	रुपये	रुपये
24.2 लेखा परीक्षकों का भुगतान		
क) सार्विधिक लेखा परीक्षक को भुगतान :		
लेखा परीक्षकों का शुल्क	2.47	2.20*
कर के लिए लेखा परीक्षक शुल्क	0.56	0.50*
लेखा समीक्षा	1.10	1.00*
व्यय का भुगतान	0.50	0.50
ख) आंतरिक अंकेक्षण शुल्क	10.22	6.08
ग) वैट अंकेक्षण शुल्क	0.34	0.30*
योग	15.19	10.58

*सेवा कर छोड़कर

टिप्पणी-25

पूर्वकालिक समायोजन

(लाख रुपयों में)

	31.03.2012 की स्थिति के अनुसार	31.03.2011 की स्थिति के अनुसार
	रुपये	रुपये
व्यय		
भण्डार एवं उपभुक्त कलपूर्ज	-	(114.36)
मूल्य हास	-	0.19
अन्य व्यय	(52.60)	-
उप-योग (क)	(52.60)	(114.17)
आय		
भण्डार एवं कलपूर्ज	-	0.39
अन्य	9.24	0.64
उप-योग (ख)	9.24	1.03
योग (ख-क)	61.84	115.20

टिप्पणी-26

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

1. वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार:

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परम्परा के अन्तर्गत भारत में साधारणतया स्वीकृत सिद्धांत, कम्पनी 1956 के प्रावधानों, परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 तथा अन्य प्रयोजन कानूनी अधिनियम के अनुसार तैयार किया जाता है।

2. अनुमानों का प्रयोग:

वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतीकरण में अनुमानों एवं धारणाओं के प्रयाग की आवश्यकता पड़ती है जो कि वित्तीय विवरण के दिन परिसम्पत्ति एवं दायित्वों को सूचित करता है तथा उस अवधि के दौरान राजस्व एवं खर्चों को सूचित करता है। उस अवधि के वास्तविक परिणामों एवं अनुमानित परिणामों के अन्तर को जानने के बाद/कार्य पूरा होने के बाद मान्यता दी जाती है।

3. स्थायी परिसम्पत्तियाँ:

- क) कुल मूल्यहास को घटाकर सभी निश्चित परिसम्पत्तियों को ऐतिहासिक लागत पर दिखलाया गया है। परियोजनाओं के मामले में लागत पूर्व परिचालन के खर्चों भी शामिल हैं।
- ख) नयी खानों के निर्माण में हुए खर्चों को खान निर्माण की अवधि में निकले अयस्क से हुई आय को घटाकर प्राप्त किया जाता है।
- ग) बीमाकृत कलपूर्जों के बावजूद निश्चित परिसम्पत्तियों के मद के सिलसिले में प्रयाग किये जा सकते हैं तथा जिनका नियमित रूप से इसमें उपयोग नहीं होता है उन्हें सम्बंधित सम्पत्तियों के साथ जोड़ा गया है।
- घ) सिस्टम सॉफ्टवेयर को सम्बंधित परिसम्पत्तियों के साथ पूँजी में परिणत किया जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को जिस वर्ष इसका उपयोग हुआ उस वर्ष उसे राजस्व में दिखलाया गया है।

4. पूँजीगत कार्य प्रगति पर:

पूँजीगत कार्य प्रगति पर में सम्पत्ति के अधिग्रहण तथा निर्माण के खर्चों शामिल हैं तथा अचल परिसम्पत्तियों की लागत जिसे उसमें अभिप्रेरित उपयोग के लिए अभी भी तैयार नहीं है को निर्माण खर्चों में शामिल किया गया है।

5. मूल्यहास:

- क) कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची-14 में निर्धारित दर के आधार पर मूल्यहास सीधी रेखा पद्धति द्वारा लगाया जाता है। 01.04.1997 के पूर्व अधिग्रहित परिसम्पत्तियों पर मूल्यहास सीधी रेखा पद्धति द्वारा परिसम्पत्तियों के 01.04.1997 के प्रारंभिक शुद्ध मूल्य पर, मूल्यहास की निर्धारित दर जो परिसम्पत्तियों की अवशेष आयु के आधार पर निकाली गई है, के आधार पर लगाया गया है जेसा कि कम्पनी अधिनियम 1956 की अनुसूची-14 में दर्शाया गया है।
- ख) प्रभावित वर्ष की पूर्ण अवधि में परिसम्पत्तियों का समायोजन/निपटान मासिक यथानुपात के आधार पर मूल्यहास प्रभारित कर दिया जाता है जिसमें आगामे महीने की प्रथम तिथि को अधिग्रहण की तिथि तथा महीने की अन्तिम तिथि को उसके निपटान की तिथि माना गया है।
- ग) सम्पत्ति का विस्तार या योग जो वर्तमान परिसम्पत्तियों का अभिन्न अंग है उसे उसके उपयोग की शेष अवधि के लिए हासित किया गया।
- घ) कुछ निश्चित परिसम्पत्तियों पर मूल्यहास कम्पनी अधिनियम 1956 की अनुसूची-14 में निर्धारित दर से अधिक लगाया गया है जिसके कारण उस सम्पत्ति के उपयोग की आयु तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर कम होने का अनुमान लगाया गया है वहाँ संशोधन किया जाता है एवं उसके शेष उपयोग की आयु पर मूल्हास किया जाता है।
- इ.) i) तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर तृतीय टेलिंग्स पौण्ड (स्लाइम डैम) के उपयोग की आयु 10 वर्ष है।
ii) टेलिंग्स पौण्ड (स्लाइम डैम) के दीवार के ऊपर तक उठाने का कार्य वित्तीय वर्ष में पूरा कर दिया गया है एवं तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर इसके उपयोग आयु से हासित किया गया।
- च) टेलिंग्स पौण्ड के निर्माण के लिए उपयोग की गई निजी भूमि, सरकारी भूमि, वनभूमि का मूल्यहास उसकी उपयोगी आयु के आधार पर किया गया है।
- छ) सरकारी भूमि जिसे लोज होल्ड के अन्तर्गत दिखलाया गया है तथा जिसे अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग में लाया गया है उसे लोज अवधि तक के लिए या सम्पत्ति के उपयोग की अवधि तक के लिए जो भी पहले होता है जिसके लिए भूमि का उपयोग किया गया है उसका मूल्यहास किया गया है।
- ज) अमूर्त सम्पत्ति : वन भूमि जिसे विभिन्न खानों एवं मिलों के लिए अधिग्रहित किया गया था उसका परिशोधन सीधी रेखा पद्धति के आधार पर उसकी सम्भावित आयु के अनुमान पर किया गया है।
- झ) बीमाकृत कलपूर्जों को संबंधित परिसम्पत्तियों के अवशेष उपयोग की आयु से उस दर पर हासित किया जाता है जो उस सम्पत्ति के लिए प्रयोज्य है तथा मूल्यहास की राशि को सम्पत्ति के अधिग्रहण की तारीख से बीमाकृत कलपूर्जों की आयु तक के लिए अधिग्रहण के वर्ष में लगाया गया है।
- ट) 5,000/- रु. या उससे कम लागत वाली परिसम्पत्तियों को वर्ष के प्रारम्भ में ही पूर्णतः हासित कर दिया जाता है।



यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

6. वस्तुओं का मूल्यांकन :

क) वस्तुओं का मान :

वस्तुओं को कम लागत एवं प्राप्ति योग्य मूल्य में जो भी कम हो पर लिया गया है।

ख) लागत सूत्र

- | | | |
|---|---|-------------------------|
| i) अयस्क एवं प्रगतिशील कार्य | : | लागत पद्धति अपनाने पर |
| ii) प्रत्यक्ष सामग्री, भण्डार तथा कलपूर्ज | : | भारित औसत लागत मूल्य पर |
| iii) मार्गस्थ एवं निरीक्षणाधीन माल | : | अधिग्रहित मूल्य पर |
| iv) गौण-उत्पाद | : | परिवर्तित लागत पर |
| v) स्क्रैप | : | अनुमानित मूल्य पर |

ग) खुले औजार

खुले औजार को जारी करने के वर्ष ही बड़े खाते में डाल दिया जाता है।

घ) प्रयोज्य सम्पत्ति

निश्चित परिसम्पत्तियों के मद जो उपयोग के बाद छोड़ दिये जाते हैं तथा जिनकी उपयोगिता समाप्त हो चुकी है एवं जिन्हें निपटान के लिए रखा गया है उन्हें उनके शुद्ध लिखित मूल्य तथा प्राप्तियोग्य मूल्य जो भी कम हो, पर दिखालाया जाता है।

ड.) अयोग्य/ अप्रचलित भण्डार

पूँजीगत भंडार एवं बीमाकृत कलपूर्जों के अतिरिक्त ऐसे भण्डार व कलपूर्ज जिनका पिछले पाँच वर्षों में प्रयोग नहीं किया गया है, के लिये अयोग्य अप्रचलित भण्डार का प्रावधान किया गया है। अनप्रयुक्त घोषित की गई सामग्री को निपटान के लिये अलग रखा जाता है और उसके लिखित मूल्य को बड़े खाते में डाल दिया जाता है। निपटान में प्राप्त हुए मूल्य को आय में जमा कर दिया जाता है।

7. राजस्व की मान्यता :

भारत सरकार द्वारा यूरेनियम सान्द्र के अधिग्रहण के लिए दी गई क्षतिपूर्ति को राजस्व के रूप में मान्यता दी गयी है।

8. केन्द्र सरकार द्वारा पूँजीगत व्यय में सहायता :

केन्द्र सरकार द्वारा पूँजीगत व्यय के लिये प्राप्त अनुदान जहां अधिग्रहित परिसम्पत्तियों का स्वामित्व सरकार के पास हो, इस प्रकार की परिसम्पत्तियों के रख-रखाव की लागत में समायोजित किया जाता है।

9. अयस्क पिण्ड के विकास पर व्यय :

वर्तमान कार्यरत खान में अयस्क पिण्ड को विकसित करने में हुए व्यय को उसी वर्ष जिसमें यह व्यय हुआ है, के लाभ हानि खाते में दिखाया गया है।

10. खान बंदी दायित्व :

खान एवं खनिज (विकास व नियमन) कानून 1957(एम.एम.डी.आर. 1957) के अनुसार खान बन्द करने व पर्यावरण के पुनरुद्धार के दायित्व को पूर्ण करने के लिये देयधन का, अयस्क भण्डार की उपलब्धता के आधार पर तकनीकी आकलन कर खान के वार्षिक खनिज उत्पादन के आधार पर लाभ हानि लेखे में प्रभारित किया जाता है।

11. ओपेन कास्ट खान के विकास पर व्यय :

ओपेन कास्ट खान के विकास पर हुए व्यय को अयोग्य पत्थर की पर्त को हटाने एवं खान के चालू होने की तिथि तक खनन बैंचों की तैयारी में हुए व्यय को खान की पूर्ण आयु पर परिशोधित किया जाता है।

12. सेवा निवृत्ति के लाभ :

- क) भविष्य निधि में कम्पनी के अंशदान को लाभ हानि खाता में उपर्याप्त आधार पर दिखालाया गया है।
- ख) सेवा निवृत्ति में अंशदान कम्पनी की नीतियों के आधार पर किया जाता है तथा इसे भारत सरकार के जीवन बीमा निगम में जमा कराया जाता है एवं लाभ हानि खाता में उसी वर्ष दिखालाया जाता है जिस वर्ष यह (प्रीमियम) बकाया पड़ता है।
- ग) ग्रेच्युटी तथा छुट्टी के नगदीकरण के लाभ को उपर्याप्त मूल्यांकन के आधार पर उसी वर्ष लाभ हानि खाते में प्रभारित किया जाता है।
- घ) स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के खर्चों को उसी वर्ष राजस्व खाते में प्रभारित किया जाता है जिस वर्ष यह कर्मचारियों को अनुमोदित किया जाता है।

13. विदेशी मुद्रा का लेन-देन:

विदेशी मुद्रा का लेन-देन उसी तारीख के प्रभावी दर पर दर्ज किया जाता है जिस तारीख को यह लेन-देन हुआ है। वर्ष के अंत में विदेशी मुद्रा का दायित्व तथा

चालू परिसम्पत्तियों को प्रभावी दर से रूपांतरित/बदला जाता है। पूँजीगत सम्पत्ति के मामले में इसके अन्तर को निश्चित परिसम्पत्तियों/पूँजी डब्ल्यू आई पी से तथा चालू परिसम्पत्ति/दायित्व के मामले में लाभ-हानि खाते में रूपांतरित किया जाता है।

14. चालू एवं आस्थगित कर के लिए प्रावधान :

आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभ को बिचारने के बाद वर्तमान के कर का प्रावधान किया गया है। आस्थगित कर जो लिखित और कर योग्य लाभ के मध्य समय की भिन्नता (टाइमिंग डिफरेंस) के फलस्वरूप कर की दरें तथ नियमों में प्रयोग के लिए किया जाता है जो आर्थिक चिट्ठा के दिन विधि अथवा पर्याप्त रूप से विधिवत् रूप में लिया जाता है। आस्थगित कर सम्पत्ति को मान्यता है तथा इसे उस अवस्था तक लिया जाता है जहाँ तक न्यायसंगत कारण है कि वह भविष्य में सम्पत्ति के रूप में परिणत किया जायेगा।

15. नकदी प्रवाह विवरण :

अप्रत्यक्ष पद्धति का उपयोग कर नकदी प्रवाह को सूचित किया गया है जिसमें कर पूर्व लाभ को बिना नकद लेन-देन के प्रभावों की गैर नकदी प्रवाह प्रकृति अथवा भविष्य एवं विगत की किसी आस्थगित एवं उपर्याजित प्रतिअथवा भुगतान के प्रभावों को समायोजित किया जाता है। कम्पनी की नियमित राजस्व आमदनी, वित्तपोषण और निवेश गतिविधियों द्वारा प्राप्त नकदी प्रवाह को अलग दिखाया जाता है।

16. अनुसंधान एवं विकास में व्यय :

पूँजीगत मदों से संबंधित खर्चों को निश्चित परिसम्पत्तियों में डेबिट किया जाता है तथा प्रयोज्य दरों पर मूल्यहासित किया जाता है। राजस्व खर्चें जिस वर्ष हुए इन्हें उसी वर्ष के लाभ हानि खाते में दिखाया जाता है।

17. पूर्व अवधि का समायोजन :

विगत वर्ष से संबंधित 50,000 रुपये से अधिक के आय/व्यय वाले मदों से जुड़े प्रत्येक मामले को पूर्व अवधि समायोजन के रूप में दिखलाया जाता है।

18. पूर्वदत्त व्यय :

अवधि समाप्त होने के पूर्व 50,000 रुपये से ज्यादा की पूँजी से जुड़े प्रत्येक मामले को पूर्वदत्त व्यय के रूप में दिखलाया जाता है।

19. लेखा की उपर्याजित पद्धति के अपवाद :

कम्पनी निम्नलिखित मदों को छोड़कर जिनका नकदी आधार पर लेखा में प्रयोग होता है, लेखा में उपर्याजित व्यवस्था को अपनाती है।

(क) ऐसे व्यय जिसके मूल्य का न्यायसंगत अंदाजा प्रावधान बनाने के लिये नहीं लगाया जा सकता।

(ख) चिकित्सा भण्डार, खेल सामग्री, मुद्रण एवं स्टेशनरी तथा जलपानगृह और अतिथियूह के लिए व्यय का प्रावधान इसके क्रय के समय ही कर लिया जाता है।

20. सम्पत्तियों की क्षीणता :

(क) यह जानने के लिए कि क्या सम्पत्तियों में क्षीणता का कोई संकेत है सम्पत्तियों की लागत को प्रत्येक तुलनपत्र में विचारा जाता है। अगर कोई संकेत रहता है तो उस सम्पत्ति से प्राप्त होनेवाली राशि का अनुमान लगाया जाता है। सम्पत्ति की क्षमता को आंका जाता है कि क्या इसकी वसूली योग्य कीमत से इसकी दिखाई लागत अधिक है। संपत्ति की क्षीणता को तब मान्यता दी जाती है जब दिखाई जा रही राशि (Carrying Amount), वसूली योग्य राशि (Recoverable Amount) से अधिक है। प्राप्तियोग्य मूल्य, सम्पत्ति की बिक्री मूल्य तथा उपयोग किये मूल्य से ऊँचा होता है। उपयोग किये मूल्य का निर्धारण भविष्य के कैश फलों का नियोजित पूँजी से जिसे भारत सरकार द्वारा यूरेनियम सान्द्र की दर के क्षतिपूर्ति के आधार पर कर दी जाती है, उसमें बर्तमान मूल्य को घटा दिया जाता है।

(ख) क्षीणता ज्ञात होने के बाद सम्पत्ति की संशोधित राशि पर मूल्यहास का प्रावधान किया जाता है जो इसकी उपयोगी आयु के ऊपर होता है।

(ग) पूर्व में निर्धारित मूल्यहास हानि की परिस्थितियों में परिवर्तन के आधार पर बढ़ाया या घटाया जाता है। हालांकि, क्षीण हानि को उस राशि से ज्यादा नहीं घटाया जा सकता है जो कि दिखाई गई राशि से ज्यादा हो जिसका निर्धारण (शुद्ध परिशोधित अथवा मूल्यहास) यह मानकर कि पूर्व वर्ष में कोई क्षीण हानि नहीं निर्धारित की गई है के आधार पर किया गया हो।

21. आकस्मिक दायित्व :

इसे आर्थिक चिट्ठा के टिप्पणी द्वारा उल्लिखित किया गया है। इसे लेखा में उन आकस्मिक खर्चों के लिए प्रावधित किया जाता है जिसे वर्ष के अंत में लेखा की समाप्ति पर दायित्व में परिवर्तित किया जायेगा एवं आर्थिक चिट्ठा में जिसका प्रभाव दिखलाया जायेग।

22. प्रावधान :

पूर्व घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्वों के लिये प्रावधान की मान्यता है और ऐसे दायित्व के, भुगतान के लिये सम्भवतः संसाधनों के बहिर्वाह की जरूरत होगी बशर्ते इनका विश्वसनीय आकलन सम्भव हो। प्रावधानों को इसके वर्तमान मूल्य में नहीं लिया गया है। इसे प्रबंधन के अनुमान पर निश्चित किया गया है जिससे कि दायित्वों का तुलन पत्र की तिथि पर नियमित किया जा सके। इसकी प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि में समीक्षा की गई है एवं इसे प्रबंधन के वर्तमान अनुमान में प्रतिबिम्बित किया गया है।



यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

टिप्पणी-27

लेखे पर अतिरिक्त टिप्पणियाँ

- 27.1 कम्पनी को परमाणु ऊर्जा विभाग के आदेश संख्या 7/6/69-मिन दिनांक 07 अगस्त, 1973 तथा संख्या 7/6/69-मिन (पी एस यू) दिनांक 03 जुलाई, 1974 की शर्तों के अनुपालन में परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 (1962 के 33) की धारा 18 के अन्तर्गत अपने उत्पादन तथा उपभुक्त कच्चे माल, प्रारंभिक एवं अंतिम स्टॉक, क्रय किये गए या अधिग्रहण किये गए कच्चे माल, अनुजाति एंव स्थापित क्षमता एवं वास्तविक उत्पादन को प्रावधानों के अनुसार प्रकाशित करने या उपलब्ध करने से निषिद्ध कर दिया गया है।
तथापि इन सूचनाओं को वर्ष 2003-04 से सरकारी लेखा परीक्षकों को उपलब्ध कराया जाता है जो कम्नी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (2) के अनुसार उनके उच्च स्तर के उच्च परीक्षकों को परमाणु ऊर्जा विभाग के आदेश संख्या 10/8(12)/2004-पी.एस.यू./448 दिनांक 9 जुलाई, 2004 के तहत कम्पनी का महत्वपूर्ण अंकेक्षण को देखने एवं इसके महत्वपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति, जिसमें इन सूचनाओं को अन्य एजेंसियों को नहीं दिये जाने का गोपनीय करार भी है, दिया जाता है।
- 27.2 क) कम्पनी ने नरवापहाड़ में 1128.32 एकड़ (गत वर्ष 1128.32 एकड़), तुमलापल्ली में 813.412 हेक्टेयर (गत वर्ष 813.412 हेक्टेयर) भूमि, तुरामडीह में 557.18 एकड़ (गत वर्ष 557.18 एकड़) भूमि, बांदहुरांग में 686.86 (गत वर्ष 686.86 एकड़) भूमि एवं बागाता में 303.14 एकड़ (गत वर्ष 303.14 एकड़) भूमि का खनन पट्टा प्राप्त कर लिया है। कम्पनी भाटिन सहित जादुगोड़ा के लिए 1312.62 एकड़ (गत वर्ष 1312.62 एकड़) भूमि के खनन पट्टा के नवीनीकरण, माहुलडीह के लिए 288.20 एकड़ (गत वर्ष 288.20 एकड़) भूमि, तुरामडीह के लिए 31.77 एकड़ (गत वर्ष 31.77 एकड़) अतिरिक्त भूमि, के.पी.एम. के लिए 290.45 हेक्टेयर (गत वर्ष 290.45 हेक्टेयर) एवं लाम्बापुर के लिए 1301.38 एकड़ (गत वर्ष 1301.38 एकड़) भूमि एवं गोगी के लिए 39.13 एकड़ (गत वर्ष शून्य) भूमि के लिए खनन पट्टा प्राप्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से पत्राचार कर रही है।
ख) कम्पनी राज्य सरकार/निजी पार्टियों से 1548.09 एकड़ भूमि (गत वर्ष 1548.09 एकड़) भूमि का स्वीकारात्मक स्वामित्व रखती है। जिससे संबंधित दस्तावेजों का हस्तांतरण/पंजीकरण आदि पूरा करना बाकी है, जिसकी कीमत 1517.59 लाख रुपया (गत वर्ष 1517.59 लाख रुपया) है, जिसे कम्पनी की अचल परिसम्पत्ति में “लीज की भूमि” तथा “स्वतंत्र भूमि” शीर्ष में सम्मिलित किया गया है।
ग) मुसाबनी में पूर्ववर्ती बिहार सरकार द्वारा हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड को पट्टे पर दी गई 3 एकड़ भूमि का उपयोग कम्पनी द्वारा 1986 से किया जा रहा है। इसके प्रयोग से संबंधित कोई औपचारिक अनुबंध नहीं हो पाने के कारण इसके लिए भुगतान/प्रावधान पर कोई विचार नहीं किया गया है।
- 27.3 कीलेंग पैंडेंगसोहियोंग खनन एवं प्रसंस्करण (मिलिंग) परियोजना, माउथावाह, मेघालय का विस्तृत परियोजना रिपोर्ट वर्ष 2004 में तैयार कर लिया गया था। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से 2007 में पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त कर लिया गया था। तथापि परियोजना निर्माण, सरकार से स्वीकृति नहीं प्राप्त होने के कारण अभी भी प्रतीक्षित है।
- 27.4 आकस्मित दायित्व तथा स्वीकारोक्ति (जिस सीमा तक प्रावधान नहीं किया गया)

(लाख रुपये में)

	31.03.2012 की स्थिति के अनुसार	31.03.2011 की स्थिति के अनुसार
कम्पनी के विरुद्ध दावे जिसे कम्पनी ने कर्ज के रूप में नहीं स्वीकारा है		
क) ठेकेदारों, छूट प्रपत्रों, इनपुट टैक्स क्रेडिट के निःशुल्क सामग्री निर्गम के संबंध में बिक्री कर दावों पर कम्पनी का विवाद	412.04	404.01
ख) झारखण्ड बिजली बोर्ड द्वारा इंधन प्रभार का दावा जो कम्पनी द्वारा विवादित है	8,663.86	7,155.22
ग) आयकर दावे जिसके लिए कटौती एवं कर देयता के संबंध में कम्पनी का विवाद	501.95	शून्य
घ) अन्य दावे जिसे ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया	0.59	0.59
ड.) साख-पत्र जिसकी अवधि समाप्त नहीं हुई	112.90	2,077.51
च) उन ठेकों का अनुमानित मूल्य जिसे पूँजीगत खाते पर निष्पादित किया जाना बाकी है (शुद्ध अग्रिम)	6,250.96	19,999.06
छ) कुछ मामले विभिन्न न्यायालयों में लंबित हैं जिसके लिए लेखे में कोई प्रावधान नहीं किया गया। आकस्मिक देयता का प्रकटीकरण नहीं किया गया है क्योंकि उसका इस स्तर पर पता लगाना संभव नहीं है।		

- 27.5 वर्ष के दौरान झारखण्ड सरकार के द्वारा की गई विवादित रॉयल्टी मांग जो विभिन्न न्यायालयों में निर्णयाधीन है, के विरुद्ध विरोध सहित रॉयल्टी के रूप में मैग्नेटाइट के लिए रुपये 165.63 लाख तथा लघु खनिज के लिए ब्याज सहित रुपये 126.32 लाख जिला खनन कार्यालय में वर्ष 2007-08 के लिए जमा किया गया। इन लम्बित मामलों के न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय होने तक मैग्नेटाइट के लिए जमा की गई रॉयल्टी एवं ब्याज को अग्रिम के रूप में दर्शाया गया है एवं लघु खनिज के राजस्व को सम्पत्ति के साथ पूँजीगत किया गया है उसके लिए इसका उपयोग किया गया था।
- 27.6 लेनदारों, देनदारों एवं अग्रिमों का शेष, सम्बंधित पक्षों के पुष्टिकरण पर निर्भर है एवं समाधान प्रक्रियाधीन है।
- 27.7 क) वर्ष 1996 में कम्पनी ने बन्द तुरामडीह परियोजना की सम्पत्ति को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सी.आर.पी.एफ.) को 2322 लाख रुपये में हस्तांतरित कर दिया था। तुरामडीह खान को पुनः खोलने के लिए सी.आर.पी.एफ. से सम्पत्ति वापस ली गई है जिसके लिए सी.आर.पी.एफ. ने 3467 लाख रुपये का दावा किया है जिसमें 2500 लाख रुपया पहले ही चुकाया जा चुका है। अवशेष राशि 967 लाख रुपये के लिए लेखा में प्रावधान किया गया है।
- ख) कम्पनी बंद तुरामडीह परियोजना की भूमि एवं अन्य सम्पत्तियों का उपयोग कर रही है जिसकी कीमत 1110.60 लाख रुपये (गत वर्ष 1110.60 लाख रुपये) का प्रावधान किया गया है जो भारत सरकार द्वारा बताया गया मूल्य है। कम्पनी भारत सरकार के नाम अंशपूँजी जारी करेगी जो भारत सरकार के पत्र संख्या-20/12(1)/95-पी.एस.यू./180, दिनांक 18 जून, 2003 के अनुसार है।
- 27.8 पिछले वर्ष प्राप्त भुगतान के विरुद्ध कम्पनी ने 911.00 लाख रुपये की अंश राशि आवंटित की है।
- 27.9 क) कम्पनी ने केश जेनरेटिंग यूनिट (सी.जी.यू.) के लिए प्रातियोग्य मूल्य का अनुमान लगाया है जो प्रयोग विधि के मूल्य पर आधारित है। प्रत्येक प्रयोग किये सी.जी.यू. के मूल्य को निकाला गया है जो सम्पत्ति के लिखित मूल्य से बहुत ऊँचा है। अतः क्षीण क्षति के अनुरूप कोई प्रावधान नहीं करना है। (संदर्भ संख्या 20 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ)
- ख) सी.जी.यू. में जादुगोड़ा खान, नरवापहाड़ खान, भाटिन खान, तुरामडीह खान, बागजाता खान तथा बांदुहुरांग खान सम्मिलित हैं।
- 27.10 परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार द्वारा यूरेनियम सान्द्र के क्षतिपूर्ति दर का निर्धारण लंबित है, वर्ष 2010-11 के लिए लागू दर ही प्रचलन से राजस्व प्राप्ति के लिए विचार किया गया है।
- 27.11 क) 31.3.2012 को कम्पनी के स्वामित्व में रखी हुई बन्द तुरामडीह परियोजना के स्टोर्स का मूल्य 172.12 लाख रुपये (गत वर्ष 172.12 लाख रुपये) को लेखा में नहीं लिया गया है क्योंकि यह भारत सरकार की राशि है। भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार इस भण्डार की बिक्री की राशि को सरकारी खाते में जमा की जाएगी।
- ख) कम्पनी ने 172.12 लाख रुपये (गत वर्ष 174.25 लाख रुपये) के प्रारम्भिक स्टॉक से 0.01 लाख रुपये (गत वर्ष 2.13 लाख रुपये) की सम्पत्ति उपयोग में लाई है तथा उस सीमा तक के लेखे में दायित्व का प्रावधान भारत सरकार के खाते में किया गया है।
- 27.12 01.03.2007 के पूर्व बांदुहुरांग खान में कम्पनी के ठेकेदार पर 1252.49 लाख रुपये के अर्थ दंड सहित सेवा कर के दावे का अतिरिक्त भार एवं कर/करों का वैधानिक अन्तर/शुल्क आदि कम्पनी के द्वारा ठेकेदार को देय है। न्यायाधिकार में विचाराधीन होने के कारण खाते में कोई प्रावधान नहीं किया गया है/न आकस्मिक देयता में दर्शाया गया है।
- 27.13 अभियंता प्रमाण-पत्र के अनुसार तुलन पत्र तिथि का प्रावधान कार्य देयता के लिए किया जाता है।
- 27.14 अंतिरिक्त सूचनाएँ

(लाख रुपये में)

	2011-12	2010-11
(क) सी.आई.एफ. के आधार पर आयात की गई सामग्रियों का मूल्य		
i) संघटक एवं कलपूर्जे	115.58	157.39
ii) पूँजीगत माल	-	209.50
योग (क)	115.58	366.89
(ख) विदेशी मुद्राएँ व्यय (उपार्जन के आधार पर)		
i) पुस्तकें तथा पत्रिकाएँ	0.38	0.82
ii) विदेश यात्रा	7.44	2.625
योग (ख)	7.82	3.44



यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

(ग) वर्ष भर में आयातीत/स्वदेशी सामग्रियों, कलपूर्जे एवं उपभुक्त संोटकों का कुल मूल्य :

	2011-12	%	2010-11	%
आयातीत	264.85	1.28	223.35	1.40
स्वदेशी	20423.90	98.72	15777.68	98.60
योग	20688.75	100.00	16001.03	100.00

27.15 लेखा मानक-15 के अनुसार प्रकटीकरण (संशोधित)

(लाख रुपये में)

	2011-12	2010-11
क) परिभाषित अंशदायी योजना		
वर्ष के लिए लाभ एवं लेखा विवरण में निम्नलिखित को चिह्नित किया गया :		
कर्मचारी भविष्य निधि में अंशदान	1431.06	1660.48
सेवानिवृत्ति निधि में अंशदान	71.22	110.93
ख) ग्रेच्युटी के संबंध में (कम्पनी निधि द्वारा) ग्रेच्युटी के संबंध में तुलन-पत्र में चिह्नित राशि		
वर्ष के अंत में वर्तमान मूल्य के परिभाषित निधि लाभ का दायित्व	7,893.90	7,426.93
योजना सम्पत्ति का वास्तविक मूल्य	7,656.52	4,614.09
कुल देयताएँ (परिसम्पत्ति)	237.38	2,812.84
ग्रेच्युटी के संबंध में लाभ एवं हानि विवरण में कर्मचारी लाभ की राशि को चिह्नित किया गया		
चालू लेखा लागत	392.35	264.83
परिभाषित लाभ दायित्व पर ब्याज	570.70	380.21
योजना सम्पत्ति पर अनुमानित लाभ	(567.98)	(359.62)
चिह्नित अवधि के दौरान शुद्ध लाभ/हानि	242.09	869.74
विगत सेवा लागत	-	1,459.08
शुद्ध ग्रेच्युटी लागत	637.16	2,614.24
योजना सम्पत्ति पर वास्तविक लाभ :		
योजना सम्पत्ति पर अनुमानित लाभ	567.98	359.62
योजना सम्पत्ति पर वास्तविक लाभ/हानि	(5.67)	148.86
	562.31	508.48
योजना सम्पत्ति के वास्तविक लागत एवं दायित्व का वर्तमान मूल्य का पुनर्गठन :		
दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन		
आरम्भिक परिभाषित लाभ दायित्व	7,426.93	5,083.58
चालू सेवा लागत	392.35	264.83
ब्याज लागत	570.70	380.21
योजना संशोधन लागत	-	1,459.08
वास्तविक (लाभ/हानि)	236.42	1,018.60
लाभ भुगतान	(762.50)	(779.37)
अन्तिम परिभाषित लाभ दायित्व	7,863.90	7,426.93

४५वां वार्षिक प्रतिवेदन २०११-२०१२

27.15 लेखा मानक-15 के अनुसार प्रकटीकरण (संशोधित)

	(लाख रुपये में)	
	2011-12	2010-11
योजना परिसम्पत्ति मूल्य में वास्तविक परिवर्तन		
योजना सम्पत्ति का प्रारम्भिक वास्तविक मूल्य	5,527.59	4,884.98
योजना सम्पत्ति पर अनुमानित लाभ	567.98	359.62
वास्तविक लाभ/(हानि)	(5.67)	148.86
कर्मचारियों द्वारा अंशदान	2,239.12	0.00
लाभ भुगतान	(762.50)	(779.37)
योजना सम्पत्ति का अंतिम वास्तविक मूल्य	7,656.52	4,614.09
योजना सम्पत्ति का निवेश विवरण		
भारत सरकार की प्रत्याभूति	19.54	19.54
कॉरपोरेट बॉँड (बंध पत्र)	57.04	57.04
विशेष जमा योजना	23.42	23.42
कुल	100%	100%

ग्रेचुटी के संबंध में चालू वर्ष एवं विगत चार वर्षों की राशि

विवरण	31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार				
परिभाषित लाभ	(7,863.90)	(7,426.93)	(5,083.58)	उपलब्ध नहीं है	
योजना सम्पत्ति	7,656.52	4,614.09	4,884.98	उपलब्ध नहीं है	
अतिरिक्त/(हास)	(207.38)	(2,812.64)	(198.60)	उपलब्ध नहीं है	
योजना दायित्व पर समायोजन का अनुभव	(516.85)	(1,018.60)	(969.59)	उपलब्ध नहीं है	
योजना सम्पत्ति पर समायोजन का अनुभव	(5.67)	148.86	91.45	उपलब्ध नहीं है	
वास्तविक लाभ/(हानि) अनुमान में परिवर्तन के कारण	280.43	0.00	864.70	उपलब्ध नहीं है	

तुलन पत्र तिथि के अनुसार मुख्य वास्तविक अनुमान

	31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार
छूट दर सम्पत्ति योजना पर लाभ का अनुमानित दर	8.50% 9.00%	8.10% 9.00%

27.16 सेगमेंट रिपोर्टिंग :

कम्पनी का व्यवसायिक कार्यकलाप प्रचालन के रूप में एक सेगमेंट में चिह्नित किया गया है और एक भौगोलिक क्षेत्र में भी, अतः लेखा मानक 17 के अनुसार लेखा में अलग से कोई प्रकटीकरण नहीं किया जा रहा है।



यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

27.17 संबंधित पक्षों का प्रकटीकरण :

(लाख रुपये में)

विवरण	मुख्य प्रबंधन कार्मिक	कुल पारिश्रमिक	
		2011-12	2010-11
प्राप्त की जा रही सेवायें	1. श्री डी.आचार्य, डी(टी)-31.07.2011 तक तथा (सी एण्ड एमडी 01.08.2011 से) 2. श्री आर.गुप्ता, (सी एण्ड एमडी) (31.07.2011 तक) 3. श्री आर.पी.गुप्ता, डी(एफ)	36.90 26.28 32.56	16.55 16.77 16.48

27.18 प्रति श्यार लाभ

2011-12 2010-11

कर पश्चात् लाभ (लाख रुपये में)	6484.24	10152.56
इकाई शेयर का भारित औसत संख्या	1,43,73,403	1,37,29,878
जोड़ा:ईकाइ शेयर की संभाव्य संख्या	--	2,89,392
ईकाइ शेयर का तनुकृत संख्या	1,43,73,403	1,40,19,270
ईकाइ शेयर का अंकित मूल्य (रुपया में)	1,000	1,000
प्रति शेयर प्रारंभिक आय (रुपया में)	45.11	73.94
प्रति शेयर तनुकृत आय (रुपया में)	45.11	72.42

27.19 आंकड़ों को लाख रुपये के सत्रिकट में लिया गया है। गत वर्ष के आंकड़ों को जहाँ कहीं भी जरूरी समझा गया उसे चालू तुलनात्मक दृष्टि से पुनः समूह में व्यवस्थित/वर्गीकृत किया गया है।

अनुसूची '1' से '27' के हस्ताक्षरी

यह हमारे संलग्नक सम दिनांक के अनुसार हस्ताक्षरित है।

कृते तोड़ी तुलस्यान एण्ड क.

कृते एवं बोर्ड के तरफ से

सनदी लेखाकार

फर्म रजि.सं. 002180सी

(सुशील कुमार तुलस्यान)

भागीदार

सदस्यता संख्या : 075899

स्थान : कोलकाता

दिनांक : 31.08.2012

बी. सी. गुप्ता

कम्पनी सचिव

आर. पी. गुप्ता

निदेशक (वित्त)

एस. के. श्रीवास्तव

निदेशक (तकनीकी)

डी. आचार्य

अध्यक्ष एवं

प्रबंध निदेशक

31.03.2012 को समाप्त वर्ष का कैश फ्लो विवरण

(लाख रुपयों में)

	2011-12	2010-11
(क) परिचालन की क्रियाओं से कैश फ्लो		
कर पूर्व शुद्ध लाभ	8,626.69	16,056.56
समायोजन के लिए		
मूल्य हास	7,315.05	8,289.17
ऋण एवं पेशगी पर ब्याज	(97.58)	(90.18)
बैंक जमा पर ब्याज	(1,939.80)	(1,889.23)
स्थिर परिसम्पत्तियों पर हानि	1.35	-
ब्याज पर व्यय	1,817.43	302.92
कार्यकारी पूँजी परिवर्तन के पूर्व परिचालन लाभ	15,723.13	22,669.23
समायोजन के लिए		
क) देनदारों को (वृद्धि)/हास	307.38	(305.54)
ख) मालसूची में (वृद्धि)/हास	941.09	(1,761.56)
ग) ऋण एवं पेशगीयों में (वृद्धि)/हास	(607.82)	(64.45)
घ) अन्य चालू परिसम्पत्तियों पर (वृद्धि)/हास	404.15	(101.03)
ड.) दायित्व में (वृद्धि)/हास	2,303.21	729.15
परिचालन की क्रियाओं से नकद उपार्जन	19,071.15	21,165.80
प्रत्यक्ष कर	(5,139.40)	(5,140.72)
परिचालन की क्रियाओं से शुद्ध कैश फ्लो	13,931.75	16,025.08
(ख) निवेश की क्रियाओं से कैश फ्लो		
क) निश्चित परिसम्पत्तियों की खरीद	(8,708.95)	(3,232.94)
ख) डब्ल्यू.आई.पी. की पूँजी में (वृद्धि)/हास	(19,993.88)	(35,914.64)
पूँजी व्यय के लिए अग्रिम	1,889.27	2,370.33
ग) बैंक जमा पर ब्याज	1,939.80	1,889.23
घ) ऋण एवं पेशगीयों पर ब्याज	97.58	90.18
ड.) अन्य बैंक जमा में (वृद्धि)/हास	5,248.41	43.29
विनियोग की क्रियाओं से शुद्ध कैश फ्लो	19,527.77	(34,841.13)
(ग) वित्तीय क्रियाओं से कैश फ्लो		
इक्विटी शेयर पूँजी से लाया गया	0.00	9,169.00
अल्प कालीन उधार में (वृद्धि)/हास	14,360.78	11,201.36
लाभांश चुकाया	(2,550.00)	(1,160.00)
ब्याज चुकाया	(1,817.43)	(302.92)
वित्तीय क्रियाओं में शुद्ध नकदी का उपयोग	9,993.35	18,907.44
(घ) नकद तथा नकदी के सामान में शुद्ध वृद्धि (क+ख+ग)	4,397.33	91.40
वर्ष के प्रारम्भ में नकदी के सामान	299.87	208.47
वर्ष के अन्त में नकदी के सामान	4,697.20	299.87
(ड.) नकद एवं नकदी के सामान में शुद्ध वृद्धि	4,397.33	91.40

विगत वर्ष के आँकड़े को हाँहां भी जरूरी समझा गया उसे चालू वर्ष में तुलनात्मक दृष्टि से पुनः समूह में व्यवस्थित/वर्गीकृत किया गया है।

यह हमारे संलग्नक सम दिनांक के अनुसार हस्ताक्षरित है।

कृते तोड़ी तुलस्यान एण्ड क.

सनदी लेखाकार

फर्म रजि.सं. 002180सी

(सुशील कुमार तुलस्यान)

भागीदार

सदस्यता संख्या : 075899

स्थान : कोलकाता

दिनांक : 31.08.2012

कृते एवं बोर्ड के तरफ से

बी. सी. गुप्ता

कम्पनी सचिव

आर. पी. गुप्ता

निदेशक (वित्त)

एस. के. श्रीवास्तव

निदेशक (तकनीकी)

डी. आचार्य

अध्यक्ष एवं

प्रबंध निदेशक



यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

तुलन पत्र सारांश एवं कम्पनी के सामान्य व्यापार की रूपरेखा

(i)	पंजीकरण विवरण:		
	पंजीकरण संख्या	:	000806
	तुलन पत्र की तिथि	:	31 मार्च, 2012
			स्टेट कोड: 03
(ii)	वर्ष के दौरान पूँजी में वृद्धि (राशि, हजार रुपयों में)		
	सार्वजनिक निर्गम	राइट इश्यू	सरकारी निर्गम
	शून्य	शून्य	शून्य
	बोनस निर्गम	निजी स्थापना	
	शून्य	शून्य	
(iii)	निधि के संचारण एवं विस्तार की स्थिति (राशि हजार रुपये में)		
	कुल देयताएँ	कुल परिस्मतियाँ	
	2,50,04,432	2,50,04,432	
	निधि के स्रोत		
	प्रदत्त पूँजी	आरक्षित एवं अधिशेष	
	1,43,93,178	28,74,193	
	प्रतिभूत ऋण	अप्रतिभूत	
	15,29,339	11,26,000	
	आरक्षित कर दायित्व		
	7,70,551		
	निधि का विनियोग		
	शुद्ध स्थाई परिस्मतियाँ (रुपये में)	निवेश	
	1,99,36,800	शून्य	
	शुद्ध चालू परिस्मतियाँ	विविध व्यय	
	-19,72,727	शून्य	
	संचित हानियाँ		
	शून्य		
(iv)	कम्पनी के कार्यकलाप		
	कुल व्यवसाय (राजस्व)	कुल व्यय	
	70,72,846	62,10,177	
	कर पूर्व लाभ/हानि	कर पश्चात् लाभ/हानि	
	(+) 8,62,669	(+) 6,48,424	
	प्रतिशेयर अर्जन रुपयों में	लाभांश दर :	
	45.11	1.13	
(v)	मुख्य उत्पाद का सामान्य नाम/कम्पनी की सेवाएँ (वित्तीय शर्तों के अनुसार) वर्गीकृत विवरण		

कृते तोड़ी तुलस्यान एण्ड क.

सनदी लेखाकार

फर्म रजि.सं. 002180सी

(सुशील कुमार तुलस्यान)

भागीदार

सदस्यता संख्या : 075899

स्थान : कोलकाता

दिनांक : 31.08.2012

कृते एवं बोर्ड के तरफ से

बी. सी. गुप्ता
कम्पनी सचिव

आर. पी. गुप्ता
निदेशक (वित्त)

एस. के. श्रीवास्तव
निदेशक (तकनीकी)

डी. आचार्य
अध्यक्ष एवं
प्रबंध निदेशक

पच्चीस वर्षीय स्थिति का सार-संग्रह

वर्ष	आय	सामग्रियाँ	वेतन/मजदुरी तथा अन्य सुविधाएँ	मूल्यहास (नगद क्षेत्र पर हास को छोड़कर)	ब्याज	उत्पादन एवं अन्य व्यय	कर पूर्व लाभ/हानि
1986–87	2047.2	412.3	572.4	126.4	6.3	645.4	214.4
1987–88	2813.8	347.7	664.3	171.6	12.8	839.9	751.5
1988–89	3358.2	449.9	750.2	174.6	4.2	1104.8	892.3
1989–90	3882.2	465.9	1026.4	157.7	0.4	1142.5	1092.4
1990–91	3080.6	398.0	938.5	197.9	—	1237.2	323.5
1991–92	3929.3	518.8	1167.1	214.4	—	1455.0	571.8
1992–93	4249.2	659.3	1369.8	217.9	2.1	1624.1	376.5
1993–94	4775.7	788.3	1415.5	291.7	0.7	1970.5	309.0
1994–95	5730.1	1082.3	1530.6	353.4	18.6	2396.1	349.1
1995–96	7149.8	1064.5	2569.6	1286.7	10.2	2187.7	31.1
1996–97	8601.0	1037.0	3141.5	1404.8	0.1	3693.6	(-) 676.0
1997–98	11140.5	1107.0	3429.6	1067.3	—	5019.9	516.7
1998–99	13417.5	1252.7	4255.9	1236.4	—	6495.0	177.5
1999–00	14533.0	1461.9	4522.2	1685.2	—	5361.4	1307.9
2000–01	14797.0	1612.7	4768.8	1842.9	—	6167.4	405.2
2001–02	16597.1	1746.8	5524.9	2054.1	—	6399.3	872.0
2002–03	19357.1	1740.5	5274.5	2069.9	—	7500.0	2772.4
2003–04	21396.9	2248.4	5596.8	2236.3	—	9389.7	1925.7
2004–05	25497.0	2590.01	5945.24	2443.43	—	9896.72	4621.6
2005–06	28156	3121	7309	2468	—	10332	4926
2006–07	29781	4138	8817	2592	—	9856	4378
2007–08	30436	4786	9929	2518	—	11061	2142
2008–09	41462	6143	12728	2755	—	13832	6004
2009–10	54306	7494	14539	6661	—	17827	7785
2010–11	76025	10072	19815	8245	—	21836	16057
2011–12	70728	10469	18572	7184	—	25526	8626



यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

(लाख रुपयों में)

कर पश्चात लाभ	पूँजी	ऋण	आरक्षित तथा अधिशेष	सकल निरुद्ध पूँजी	कुल मूल्य हास	शुद्ध निरुद्ध पूँजी	31 मार्च को कर्मचारियों की संख्या
159.4	2239.3	193.0	633.2	2726.3	1444.8	1281.5	3115
471.5	2439.2	94.0	1104.2	3030.3	1661.3	1369.9	3180
552.3	2575.3	—	1557.2	3300.3	1841.8	1458.5	3392
657.4	5589.3	—	2314.8	3701.3	2035.2	1666.1	3477
143.5	6989.3	—	2458.3	4029.4	2289.8	1739.6	3629
245.8	12417.2	—	2654.4	4933.5	2590.3	2343.2	3748
146.2	17017.3	—	2802.0	5262.4	2824.3	2438.1	3898
104.4	22517.3	—	2906.5	9085.1	3574.4	5510.7	3904
801.9	30517.3	—	3708.4	11277.1	4396.1	6888.0	4024
78.6	5422.3	—	3787.1	18558.6	5813.8	12744.8	4171
(-) 854.0	36922.3	—	1326.6	19008.1	7203.8	11804.2	4249
251.4	37075.3	—	1523.0	25203.8	8644.3	16559.5	4312
367.1	41982.3	—	1808.0	34057.7	10039.8	24018.0	4385
1151.1	41982.3	—	2666.4	36438.7	11894.8	24543.9	4408
303.7	41982.3	—	2902.3	38041.5	13915.3	24126.3	4420
588.2	38339.3	64.4	4971.5	38510.6	16076.3	22434.3	4218
480.84	41839.3	—	4398.8	43443.2	18062.2	25381.0	4147
978.7	49839.3	—	4981.8	48591.2	20109.6	28481.6	4064
2925.1	63389.3	—	7222.8	52746.6	22813.5	29933.1	4034
3161	69094	—	9472	57074	25509	31566	4103
2751	71265	—	11403	61942	28192	33750	4276
1463	84165	—	12433	67254	31012	36242	4439
1801	107765	—	13684	117101	33914	83187	4643
4626	134793	—	16957	123150	40842	82308	4539
10153	143962	—	24146	126383	49131	77251	4696
6484	143962	—	28742	135090	56446	78644	4624





